राम चमक रहे भानु समाना

श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन संघ

पंजीकृत एवं केन्द्रीय कार्यालय : बीकानेर (राजस्थान)

संघ का विधान
व
नियम/विनियम

राजस्थान सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1958

के अधीन पंजीकृत

पंजीकरण संख्या नं. 102/1964-65

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	अनुच्छेद क्रमांक	विवरण	पृष्ठ संख्या
I.		**विधान**	1–4
	1.	संघ का नाम	1
	2.	संक्षिप्त परिचय	1
	3.	पंजीकृत कार्यालय तथा संघ का कार्यक्षेत्र	1
	4.	उद्देश्य	1–3
	5.	लाभ आय और स्थायी सम्पति का उपयोग	3
	6.	विघटन या विघटन की स्थिति में स्थायी सम्पति का उपयोग	4
II.		**नियम/विनियम**	05–34
	1.	परिभाषा	05–08
	2.	संघ की सदस्यता	08
	3.	सदस्यता के प्रकार	08–10
	4.	सदस्यता शुल्क	10
	5.	संघ में प्रवेश	10–11
	6.	सदस्यता की समाप्ति	11
	7.	सदस्यों का रजिस्टर	11
	8.	सदस्यों के अधिकार और दायित्व	11–12
	9.	अध्यक्ष	12
	10.	कार्यसमिति	12–15
	11.	नियामक परिषद्	15–16
	12.	पदाधिकारी कार्यकाल	16
	13.	चयन, शपथ एवं त्याग पत्र प्रक्रिया	16–18
	14.	पदाधिकारियों का पदच्युत/पदमुक्त होना	18
	15.	रिक्त स्थान की पूर्ति	18–19
	16.	पात्रता	19
	17.	अध्यक्ष के अधिकार एवं कर्त्तव्य	19–20
	18.	उपाध्यक्ष के अधिकार एवं कर्त्तव्य	20–21
	19.	महामंत्री के अधिकार एवं कर्त्तव्य	21–22
	20.	मंत्री के अधिकार एवं कर्त्तव्य	22
	21.	कोषाध्यक्ष/सहकोषाध्यक्ष के कर्त्तव्य	22–24
	22.	स्थायी संपति संवर्धन परिषद	24–26
	23.	लेख एवं अभिलेख	26
	24.	हस्तान्तरण प्रक्रिया	26
	25.	भौगोलिक क्षेत्र विभाजन	26–27
	26.	वार्षिक आमसभा, विशेष आमसभा	27–29
	27.	मुहर	29
	28.	संघ के अन्तर्गत, सहयोगी एवं समुद्देशीय संस्थाएं	29–31
	29.	श्रीसंघ की शाखाओं हेतु नियम संहिता	31–32
	30.	साधारण नियम	32–33
	31.	विधान एवं नियमों/विनियमों में संशोधन	33–34
	32.	राजस्थान सोसायटीज पंजीकरण अधिनियम की व्यवहार्यता	34
	33.	कार्यवृत्त, दस्तावेज इत्यादि	34
	34.	वाद–विवाद	34
III.		**कार्य समिति के सदस्य** – परिशिष्ट–1	35–36
IV.		**संघ संचालन हेतु भौगोलिक विभाजन**–परिशिष्ट–2	37–36
V.		**अनुबंध**	40–42

श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन संघ

विधान

1. **<u>नामः-</u>** संघ का नाम - **''श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन संघ''**।

2. **<u>संक्षिप्त परिचय :-</u>** मूलभूत अभिप्राय /अवधारणा :-

अ. यह संघ, धर्म, मान्यता, संस्कृति, परम्परा, इतिहास, साहित्य, कला, धार्मिक समारोह इत्यादि के संबंध में भारत के ''साधुमार्गी अनुयायीगण'' का प्रतिनिधि व प्रतिकृति है।

ब. यह संघ आचार्य श्री हुक्मीचन्द जी म.सा. की शुद्ध पाट परम्परा में विद्यमान आचार्य श्री के प्रति पूर्णतः श्रद्धावनत रहेगा एवं उन्हीं की मान्यताओं, धारणाओं एवं भावनाओं के अनुरूप कार्य करेगा।

स. यह संघ आचार्य श्री हुक्मीचन्द जी म.सा. की शुद्ध पाट परम्परा में क्रमशः आचार्य श्री शिवलाल जी म.सा., आचार्य श्री उदयसागर जी म.सा., आचार्य श्री चौथमल जी म.सा., आचार्य श्री श्रीलाल जी म.सा., आचार्य श्री जवाहरलाल जी म.सा., आचार्य श्री गणेशलाल जी म.सा., आचार्य श्री नानालाल जी म.सा., वर्तमान आचार्य श्री रामलाल जी म.सा. के प्रति पूर्ण श्रद्धानिष्ठ रहकर कार्य करेगा, एवं आचार्यश्री के विचारों एवं मान्य सिद्धान्तों के प्रचार प्रसार के लिए साहित्य वितरण, शिविरायोजन इत्यादि में विभिन्न प्रकार से सक्रिय रहेगा। इस प्रकार भविष्य में भी उसी परम्परा में जो विधिवत आचार्य होंगे, उनके प्रति संघ पूर्णतः श्रद्धावनत रहेगा एवं उन्हीं की मान्यताओं, धारणाओं एवं भावनाओं के अनुरूप कार्य करेगा।

3. **<u>पंजीकृत कार्यालय तथा संघ का कार्यक्षेत्र :-</u>**

अ. संघ का पंजीकृत कार्यालय बीकानेर में होगा।

ब. संघ का कार्यक्षेत्र संपूर्ण भारतवर्ष तथा नेपाल व भूटान है।

स. संघ वैश्विक स्तर पर भी, अर्थात् अनिवासी भारतीय एवं विदेश - स्थित भारतीय मूल के साधुमार्गी परिवारों के मध्य, कार्यरत रहेगा।

4. **<u>उद्देश्य :-</u>**

संघ का सर्वोपरी लक्ष्य है सम्यग् ज्ञान, दर्शन, चारित्र की अभिवृद्धि तथा सर्वांगीण समाजोन्नति। इस लक्ष्य-पूर्ति एवं ध्येय-सिद्धि हेतु निम्न उद्देश्यों की व्याख्या की गई है -

i. सत्साहित्य का सृजन/संकलन तथा प्रसार, प्रचार करना; प्राचीन साहित्य में अनुसंधान/अभ्यास को प्रोत्साहित करना; तथा इनके प्रकाशन की व्यवस्था करना।

ii. जनमानस में आध्यात्मिक एवं नैतिक मूल्य-आधारित शिक्षा के प्रति रूचि जागृत करना, उसे प्रोत्साहित करना और उसका प्रवर्धन करना; इस हेतु समता पाठशालाओं की स्थापना करना।

iii. मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आध्यात्मिक एवं नैतिक मूल्यों के प्रति समादर भाव जगाना, जैसा कि साधुमार्गी आचार्यों द्वारा जनमानस के उत्थान हेतु दर्शाया गया है।

iv. जैन तत्त्वदर्शन, संस्कृति, इतिहास, साहित्य, कला आदि के जानकारी की वृद्धि में तथा ज्ञान के प्रसार में प्रयासरत रहना।

v. नैतिक एवं आध्यात्मिक नवजागरण हेतु तथा सामाजिक विषमताओं एवं कुरीतियों के निर्मूलन हेतु सांस्कृतिक एवं सामाजिक गतिविधियों, उपक्रमों तथा क्रियाकलापों का प्रवर्तन करना और उन्हें प्रोत्साहित करना।

vi. नैतिकता व धर्माचरण के प्रचार हेतु, एवं संघ की प्रवृत्तियों को बढ़ावा देने हेतु, दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक पत्र का प्रकाशन करना।

vii. भारतीय संस्कृति, जैन दर्शन व अन्य समरूप दर्शनों के अध्ययन एवं प्रचार-प्रसार में प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से सहायता करने के लिए परीक्षाओं, भाषण प्रतियोगिताओं, व्याख्यानों, परिचर्चाओं, प्रतियोगिताओं, सेमिनारों, प्रदर्शनियों, प्रकाश्य- व्याख्यानों (Lantern Lectures), कक्षाओं, वृत्तचित्रों, जनसभाओं, सम्मेलनों और अभियानों का सुविचारित रीति से आयोजन करना और गुण-सम्पन्न सहभागियों को पुरस्कार, पारितोषिक, इत्यादि प्रदान करना।

viii. अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, और अपरिग्रह के सिद्धांतों को प्रचारित करना।

ix. निर्ग्रंथ श्रमण संस्कृति के रक्षार्थ शुद्ध चारित्र का पालन करने वाले साधुमार्गी श्रमण वर्ग के सुसंगठन में सहयोग देना तथा मुमुक्षुओं के विकास हेतु कार्य करना।

x. छात्रों, विद्वानों एवं अनुसंधान के क्षेत्र में शोधकर्ताओं को छात्रवृत्तियाँ उपलब्ध कराना।

xi. विद्यार्थियों को अपना अध्ययन जारी रखने हेतु उत्प्रेरित करना, तथा प्रोत्साहन व समर्थन स्वरूप पुरस्कार देना और शैक्षणिक ऋण प्रदान करना।

xii. रोगोपचार व स्वास्थ्य संवर्धन हेतु आर्थिक सहयोग देना एवं रोग निदान/उपचार/चिकित्सा शिविर लगाना व चिकित्सा केन्द्रों की स्थापना करना।

xiii. जीवदया के सेवाकार्यो एवं उपक्रमों का प्रवर्तन करना तथा उन्हें प्रोत्साहित करना।

xiv. जरूरतमंद भाइयों व बहनों को यथायोग्य सहयोग प्रदान करना।

xv. अन्य ऐसे कार्य करना जो सार्वजनिक दृष्टि से हितकारक और सार्थक हों, उपयोगी व समाज सेवार्थ हों, पारमार्थिक हों।

xvi. किसी अन्य न्यास, संस्था या सोसाइटी या उसकी संपत्ति का संघ में समामेलन करना और संघ के उद्देश्यों के अनुरूप उनका कार्यपालन/उपयोग करना।

xvii. अन्य ऐसे सभी कार्य करना और इस प्रकार की कार्यवाही करना जो संघ के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आनुषंगिक हो या प्रेरक हो या आवश्यक माना जाए।

xviii. संघ के उपक्रम एवं तद्जनित हितलाभ भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए उपलब्ध व सुलभ कराना, चाहे वह किसी भी वर्ग, जाति, पंथ या धर्म से संबद्ध हो। इनका प्रयोजन होगा भारतीय समाज का नैतिक उत्थान, कुव्यसनों से मुक्ति व सर्वांगीण प्रगति।

5. लाभ आय और स्थायी सम्पत्ति का उपयोग:-

यह संघ लाभार्थ स्थापित नहीं हुआ है। संघ द्वारा अर्जित आय तथा लाभ, संघ की निधि एवं सम्पत्ति, उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में लगाई जाएगी। उसका कोई भी अंश, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, लाभांश तथा बोनस के रूप में, या अन्य प्रकार से, किसी सदस्य या पूर्व सदस्य या किसी अन्य व्यक्ति के लाभ हेतु, वितरित नहीं होगा। तथापि यह प्रावधान संघ के किसी अधिकारी या सेवक को पारिश्रमिक के भुगतान, या संघ के किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य या सेवा के एवज प्रतिफल, या संघ के किसी सदस्य या अन्य व्यक्ति को संघ के उद्देश्यों को बढ़ावा देने या उनकी पूर्ति हेतु दिए जाने वाले पुरस्कार, पदक, छात्रवृत्ति या अन्य प्रकार के संदाय पर लागू नहीं होगा।

6. विघटन या विघटन की स्थिति में स्थायी सम्पत्ति का उपयोग :-

6.1 किन्ही अपरिहार्य कारणों से यदि संघ का विघटन प्रस्तावित होता है तो इस प्रकार का प्रस्ताव विचार-विमर्श व मत प्रकट करने हेतु आम सभा/विशेष आम सभा के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। संघ के समस्त पंजीकृत आजीवन सदस्य (जिन्हें मताधिकार हो) ही दो तिहाई से अन्यून बहुमत द्वारा अवधारित कर सकेंगे कि संघ विघटित कर दिया जाए अथवा नहीं।

6.2 विघटन के पश्चात् यदि ऋण तथा लेनदारों के भुगतान के उपरांत संपत्ति शेष रहती है, तो उसका विनियोजन या वितरण संघ के सदस्यों के बीच नहीं किया जाएगा। बल्कि वह संपत्ति ऐसी किसी अन्य संस्था या संस्थाओं को प्रदत्त/हस्तांतरित की जाएगी, जिसके उद्देश्य संघ के समरूप होंगे। इसकी अवधारणा भी उपरोक्त प्रकार से आयोजित आम सभा/विशेष आम सभा में संघ के समस्त पंजीकृत आजीवन सदस्यों में से दो तिहाई से अन्यून सदस्यों द्वारा समर्थित व बहुमत से पारित प्रस्ताव से ही हो सकेगी।

6.3 यदि किसी कारणवश आम सभा या विशेष आम सभा में संपत्ति के विषय में कोई निराकरण न हो पाए तो संपत्ति विषयक अगली कार्यवाही नियामक परिषद के निर्देशानुसार सम्पन्न होगी।

श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन संघ

नियम/विनियम

1. **परिभाषा :-**

इन नियमों एवं विनियमों में, जब तक विषय या संदर्भ में उससे कुछ असंगति न हो, शब्दों का तात्पर्य निम्न प्रकार से होगा :-

i) आचार्य, आचार्य भगवन् अथवा आचार्यश्री शब्द संबोधन का तात्पर्य होगा निम्न पूर्वाचार्यों से : आचार्य श्री हुक्मीचन्द जी म.सा. एवं उनकी शुद्ध पाट परम्परा में क्रमशः आचार्य श्री शिवलाल जी म.सा., आचार्य श्री उदयसागर जी म.सा., आचार्य श्री चौथमल जी म.सा., आचार्य श्री श्रीलाल जी म.सा., आचार्य श्री जवाहरलाल जी म.सा., आचार्य श्री गणेशलाल जी म.सा., तथा आचार्य श्री नानालाल जी म.सा.। वर्तमान आचार्य श्री रामलाल जी म.सा. से, तथा इस प्रकार भविष्य में इसी परम्परा के अन्तर्गत जो विधिवत् आचार्य होंगे उनसे भी, इन शब्दों का तात्पर्य होगा।

ii) वर्तमान आचार्य : वर्तमान आचार्य का तात्पर्य आचार्य श्री रामलाल जी म.सा. से है। भविष्य में आचार्य श्री रामलाल जी म.सा. के जो वैधानिक उत्तराधिकारी होंगे, उन्हें तत्कालीन वर्तमान आचार्य समझा जाएगा।

iii) संघ नायक अर्थात् साधुमार्गी जैन संघ के वर्तमान विद्यमान आचार्य प्रवर।

iv) साधु-साध्वी : वर्तमान आचार्य श्री के नेश्राय में साधनारत।

v) मुमुक्षु : साधुमार्गी संघ की धारणा-मान्यता पर श्रद्धा रखने वाले पुरुष अथवा स्त्री जो वर्तमान आचार्य श्री की आज्ञानुसार साधु जीवन स्वीकारने के इच्छुक हों।

vi) साधुमार्गी : यह शब्द संबोधन आचार्य श्री हुक्मीचन्द जी म.सा. की शुद्ध पाट परम्परा में क्रमशः आचार्य श्री शिवलाल जी म.सा., आचार्य श्री उदयसागर जी म.सा., आचार्य श्री चौथमल जी म.सा., आचार्य श्री श्रीलाल जी म.सा., आचार्य श्री जवाहरलाल जी म.सा., आचार्य श्री गणेशलाल जी म.सा., आचार्य श्री नानालाल जी म.सा. तथा वर्तमान आचार्य श्री रामलाल जी म.सा. के प्रति पूर्ण श्रद्धानिष्ठ व्यक्ति या समुदाय का परिचायक है।

vii) वीर परिवार : आचार्य श्री के नेश्राय में जो स्त्री अथवा पुरूष दीक्षा ग्रहण करे, उसके सांसारिक दादा, दादी, माता, पिता, पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, पौत्र, पौत्री, पुत्रवधू, भाई और बहन, जो वर्तमान आचार्य श्री के प्रति पूर्ण श्रद्धानिष्ठ हों।

viii) पदाधिकारी : पदाधिकारी का तात्पर्य संघ के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/महामंत्री/कोषाध्यक्ष/सहकोषाध्यक्ष/मंत्री, निवर्तमान/अध्यक्ष/महामंत्री/कोषाध्यक्ष, एवं प्रवृत्ति संयोजक से होगा।

ix) श्रावक या श्राविका का तात्पर्य उस पुरुष (जिसे श्रावक के रूप में जाना जाएगा) तथा उस महिला (जिसे श्राविका के रूप में जाना जाएगा) से होगा जो आचार्य श्री के प्रति पूर्णतः श्रद्धावान हो और साधुमार्गी जैन संघ के धार्मिक सिद्धान्तों के प्रति भी पूर्ण रूप से समर्पित हो।

x) व्यसन-मुक्त : तम्बाकू, बीडी, सिगरेट, गुटका, शराब, अण्डा, मांस, गाँजा, इत्यादि व्यसनों का सेवन न करने वाला।

xi) **(अ)** वार्षिक आम सभा का तात्पर्य संघ के नियमों के अनुरूप आयोजित व संपन्न वार्षिक आम सभा से होगा जिसमें सभी सदस्य एवं पदाधिकारी भाग ले सकेंगे।

(ब) विशेष आम सभा का तात्पर्य होगा वार्षिक आम सभा के अतिरिक्त अन्य आम सभा से, जो कि वर्ष में एक से अधिक बार भी आयोजित की जा सकती है।

xii) लेखापरीक्षक : विधिवत् योग्यता प्राप्त सनदी लेखाकार (Chartered Accountant) जो लेखापरीक्षक के रूप में कार्य करने का अधिकार रखता हो, तथा जिसे संघ के लेखों की जांच हेतु नियुक्त किया गया हो।

xiii) निवर्तमान अध्यक्ष/महामंत्री/कोषाध्यक्ष : भूतपूर्व पदाधिकारी जो वर्तमान अध्यक्ष/महामंत्री/कोषाध्यक्ष के तत्काल पूर्ववर्ती अध्यक्ष/ महामंत्री/कोषाध्यक्ष रहे हों।

xiv) सदस्य : संघ के नियमों के अनुसार संघ का तत्कालीन सदस्यता-प्राप्त व्यक्ति, किंतु जब तक अन्यथा न कहा जाए, इसमें किसी मानद सदस्य की समाविष्टि नहीं होगी।

xv) संकल्प : संघ की वार्षिक आम सभा या विशेष आम सभा या कार्य समिति या अन्य समिति या उप-समिति की बैठक में पारित प्रस्ताव। बशर्ते कि बैठक संघ के नियमों के अनुसार आयोजित की गई हो, तथा प्रस्ताव विधिवत् पारित एवं स्वीकृत और अंगीकृत (Adopt) किया गया हो।

xvi) संघ अथवा श्री संघ अथवा केन्द्रीय संघ इन तीनों का तात्पर्य श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन संघ से है।

xvii) संयोजक : संघ के प्रवृत्ति का संयोजक अथवा समिति या उपसमिति का प्रमुख।

xviii) शाखा प्रभारी : केन्द्रीय संघ की स्थानीय शाखा के प्रतिनिधित्व हेतु मनोनीत सदस्य।

xix) क्षेत्रीय प्रभारी : क्षेत्र का मनोनीत सदस्य।

xx) संभाग प्रमुख : संभाग का मनोनीत प्रतिनिधिक सदस्य।

xxi) मुहर : संघ की सामान्य मुहर।

xxii) नियामक परिषद : संघ के दिशा-निर्देश एवं मार्गदर्शन हेतु तथा उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु गठित एक शीर्ष निकाय।

xxiii) कार्य समिति का तात्पर्य संघ की कार्यकारिणी निकाय से होगा, जिसका गठन संघ के नियमों/विनियमों के अनुसार हुआ हो।

xxiv) वर्ष : आय एवं व्यय लेखा, तुलन-पत्र इत्यादि हेतु, 01 अप्रैल को आरंभ और अगले मार्च के 31 वें दिन को समाप्त वर्ष। पदाधिकारी के कार्यावधि निर्धारण हेतु वर्ष से तात्पर्य होगा आसोज सुदी 2 से शुभारंभ एवं आसोज सुदी 2 को समाप्ति।

xxv) कार्यालय सचिव : साधुमार्गी जैन संघ के बीकानेर स्थित केन्द्रीय कार्यालय की गतिविधियों का संचालन व देखरेख करने वाला पदधारी।

xxvi) कार्यकाल : संघ के पदाधिकारियों का कार्यकाल आसोज सुदी 2 से प्रारंभ होकर दो वर्ष के अन्तराल में आसोज सुदी 2 को समाप्त होगा।

xxvii) स्थायी संपत्ति संवर्द्धन परिषद : संघ के संपत्ति की संरक्षण एवं वृद्धि हेतु गठित निकाय।

xxviii) स्थायी संपत्ति : इस का तात्पर्य है, संघ की चल, अचल व अमूर्त संपत्ति से :

(अ) अचल संपत्ति : जैसे जमीन, जायदाद, भवन, प्लाट, मकान, वाणिज्यिक भवन, इत्यादि।

(ब) चल संपत्ति : जैसे सावधि जमा (Fixed Deposit), म्युचुअल फंड (Mutual Fund), रोकड़ (Cash), कम्प्युटर, हार्डवेयर, सोफ्टवेयर, मशीनरी, वाहन।

(स) अमूर्त संपत्ति : जैसे अमूर्त आस्तियां (Intangible Assets) : प्रतीक चिह्न के अधिकार (Rights of Logo), वेबसाईट के अधिकार (Rights of Website) तथा एकस्व (Patent) व अन्य आस्तियां।

xxix) अंतर्गत एवं सहयोगी संस्थाएँ : इनका तात्पर्य ऐसी संस्थाओं से है, जो संघ में अन्तर्भूत होते हुए, अर्द्ध-स्वतंत्र रूप से कार्य करें। अंतर्गत संस्था का लेखा जोखा संघ में अंतर्निहित होगा जब कि सहयोगी संस्था का पृथक होगा।

xxx) प्रवृत्ति : प्रवृत्ति का तात्पर्य संघ के उस प्रकल्प या गतिविधि से होगा जो संघ के उद्देश्य पूर्ति, अर्थात् सम्यग् ज्ञान, दर्शन, चारित्र की अभिवृद्धि हेतु, अथवा समाजोत्थान हेतु, आरम्भ/संचालित की जाए।

xxxi) अधिवेशन : संघ के स्थापना दिवस (आसोज सुदी 2 विक्रम संवत् 2019 अर्थात् वर्ष 1962) के उपलक्ष्य में आयोजित वार्षिक पर्व। यह संघ समर्पणा महोत्सव के रुप में भी जाना जाता है।

xxxii) मंत्री परिषद् : मंत्री परिषद् (Core Committee) का तात्पर्य एक विशेष रूप से गठित निकाय से होगा जिसके सदस्य संघ के वर्तमान पदाधिकारियों में से होंगे।

xxxiii) विधान संशोधन समिति : इसका तात्पर्य उस तदर्थ समिति से होगा जो विधान में संशोधन/परिवर्धन/परिवर्तन हेतु आवश्यकता पड़ने पर गठित की जाए।

2. संघ की सदस्यता :-

i) प्रत्येक साधुमार्गी वयस्क (आयु-18 अठारह वर्ष) स्त्री अथवा पुरुष जो इस संघ के उद्देश्यों एंव प्रवृत्तियों के प्रति आस्था एवं पूर्णनिष्ठा रखता हो, तथा जो आचार्य भगवन् की धारणा-मानना, आचार-विचार, को पूर्णतः स्वीकारे, संघ का सदस्य बन सकता है।

ii) सदस्यता के लिए आवेदन का स्वरूप कार्यसमिति सुनिश्चित करेगी और उसमें वे विवरण होंगे जो कार्यसमिति समय-समय पर निर्धारित करेगी।

iii) निर्धारित प्रपत्र में आवेदन किए जाने पर, जो "केन्द्रीय कार्यालय" को भेजा जाएगा, और जिसके साथ नियत शुल्क-राशि प्रेषित की जाएगी, आवेदक व्यक्ति संघ के नियमों एवं विनियमों के अनुसार निम्न प्रकार की सदस्यता का पात्र हो सकता है।

3. सदस्यता के प्रकार :-

(अ) **साधारण सदस्य -** इस श्रेणी का सदस्य संघ के सभी कार्यक्रमों, उपक्रमों, आम सभाओं, सम्मेलनों में भाग ले सकेगा, इस प्रकार के सदस्यों को मताधिकार प्राप्त होगा।

(ब) **आजीवन सदस्य -** इस प्रकार के सदस्यों को संघ के चयन/मनोनयन प्रक्रिया में भाग लेने का एवं प्रसंग उपस्थित होने पर, मतदान करने का अधिकार प्राप्त होगा।

(स) **अन्य विशेष सदस्य :** निम्न प्रकार के सदस्य, संघ में निर्धारित राशि प्रदान कर विशेष सदस्य बनने का गौरव प्राप्त कर सकते हैं, तथा इन्हें आजीवन सदस्य के समस्त विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। इन्हें संघ का मुख पत्र श्रमणोपासक आजीवन निःशुल्क उपलब्ध होगा।

i) **प्रभावक सदस्य -** रुपये एक लाख की राशि प्रदान करने वाले महानुभाव संघ के प्रभावक सदस्य कहलाएंगे।

*ii) **विशेष प्रभावक सदस्य/महाप्रभावक सदस्य –** प्रति वर्ष रुपये एक लाख की राशि लगातार 11 (ग्यारह) वर्षो तक प्रदान करने वाले महानुभाव अथवा एकमुश्त रु. 11 (ग्यारह) लाख की राशि देने वाले अथवा रु. एक लाख सदस्यता शुल्क एवं शेष रु. दस लाख के अनुदान का प्रबंध करने वाले महानुभाव विशेष प्रभावक सदस्य कहलाएंगे।

*iii) **साधुमार्गी शिखर सदस्य –** रुपये एक करोड़ की राशि प्रदान करने वाले अथवा रु. एक लाख सदस्यता शुल्क एवं शेष रु. निन्यानवे लाख (99 लाख) के अनुदान का प्रबंध करने वाले महानुभाव शिखर सदस्य कहलाएंगे।

* **कृपया अनुबंध का अवलोकन करें।**

(iv) **श्रुतप्रभावक सदस्य –** जो सदस्य श्री संघ द्वारा आयोजित संस्कार पाठ्यक्रम की सभी परीक्षाएं उत्तीर्ण कर चुका हो तथा आचार्य परंपरा के प्रति पूर्णतया समर्पित हो वह श्रुतप्रभावक सदस्यता प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार की सदस्यता धार्मिक योग्यता, पांडित्य तथा गुणसंपन्नता के आधार पर प्रदत्त की जाएगी। इस हेतु कोई सदस्यता शुल्क देय नहीं होगा। तथापि सदस्यता के सभी अधिकार आजीवन सदस्य के अनुसार होंगे।

(द) मानक सदस्य :–

i) जो आचार्य भगवन् से समकित प्राप्त करे (धर्मपाल, सिरिवाल, अथवा अन्य वह व्यक्ति जो आचार्य भगवन् से समकित ग्रहण कर जैन धर्म का अनुयायी बना हो), वह इस सदस्यता का अधिकारी होगा।

ii) जिस व्यक्ति का संघ से संबंध गरिमामय माना जाता है, जिसने धर्म, दर्शन या प्राच्य अध्ययन में उच्च कोटि की उपलब्धि हासिल की है, अथवा सेवाएं प्रदान की है, तथा जो भारत या किसी अन्य देश का विशिष्ट/प्रतिष्ठित नागरिक है, वह व्यक्ति संघ का मानद सदस्य बन सकता है।

iii) इस श्रेणी के सदस्यों को किसी भी बैठक में मत देने का अधिकार नहीं होगा, न ही वे कोई पद ग्रहण कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त संघ के स्थायी संपत्ति के विषय में इन्हें कोई हस्तक्षेप का अधिकार नहीं होगा।

नोट –

i) सभी श्रेणी के सदस्य कार्यसमिति की स्वीकृति से ही सदस्य बन सकेंगे।

ii) आम सभा या विशेष आम सभा अथवा कार्यसमिति में सर्वसम्मति या बहुमत से स्वीकृत प्रस्ताव, उपस्थित एवं अनुपस्थित, सभी सदस्यों के लिए मान्य होंगे।

iii) प्रत्येक श्रेणी की सदस्यता सदैव, सभी परिस्थितियों में, अहस्तांतरणीय होगी।

4.	**सदस्यता शुल्क :–**		**सदस्यता शुल्क राशि :**
i)	साधारण सदस्य	:	मात्र रु 500/-
ii)	आजीवन सदस्य	:	मात्र रु 5000/-
iii)	प्रभावक सदस्य	:	मात्र रु 100000/-
*iv)	विशेष प्रभावक सदस्य/ महाप्रभावक सदस्य	:	मात्र रु 100000/- प्रति वर्ष निरन्तर 11 वर्षो तक, अथवा एकमुश्त रु. 11 ग्यारह लाख की राशि देने पर अथवा रु. 1 (एक) लाख शुल्क एवं शेष रु. 10 (दस) लाख के अनुदान का प्रबंध करने पर
*v)	साधुमार्गी शिखर सदस्य	:	एकमुश्त मात्र रुपये एक करोड़ अथवा रु. 1 लाख शुल्क एवं शेष रु. 99 (निन्यानवे) लाख के अनुदान का प्रबंध करने पर

* **कृपया अनुबंध का अवलोकन करें।**

vi)	श्रुतप्रभावक सदस्य	:	निःशुल्क
vii)	मानद सदस्य	:	निःशुल्क

सदस्यता शुल्क के विषय में टिप्पणी :

साधारण सदस्य, आजीवन सदस्यता शुल्क का भुगतान करके, अपनी साधारण सदस्यता को आजीवन सदस्यता में परिवर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

5. संघ में प्रवेश :–

i) सदस्यता के लिए सभी आवेदन, महामंत्री द्वारा, कार्यसमिति की शीघ्रातिशीघ्र होने वाली बैठक में, विचारार्थ प्रस्तुत किए जाएंगे। कार्यसमिति द्वारा अनुमोदित नाम, संघ के कार्यालय में, सदस्यों से संबंधित रजिस्टरों में विधिवत दर्ज किए जाएंगे।

ii) आवेदक को सदस्य के रूप में समाविष्ट करने का अधिकार एकमात्र और पूरी तरह से कार्यसमिति का होगा। तथापि कार्यसमिति बिना कोई कारण बताए सदस्यता के आवेदन को अस्वीकृत कर सकती है। इस बारे में कार्यसमिति का निर्णय अंतिम होगा।

iii) नया सदस्य वार्षिक आम सभा या विशेष आम सभा के निर्धारित तिथि से तत्काल पूर्ववर्ती 90 दिन की अवधि के अंतर्गत संघ में प्रविष्ट नहीं किया जाएगा।

6. सदस्यता की समाप्ति :-

निम्न स्थिति में सदस्य अपनी सदस्यता खो बैठेगा अथवा उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी/समझी जाएगी।

i) यदि वह महामंत्री को त्यागपत्र देता है और उसका त्याग पत्र कार्यसमिति द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है।

ii) यदि वह विक्षिप्त हो जाता है या सक्षम न्यायालय द्वारा गंभीर प्रकृति के नैतिक चरित्रहीनता वाले अपराध में दंडित होता है।

iii) यदि वह संघ के किसी नियम या विनियम के अधीन सदस्यता का पात्र नहीं रहता है।

iv) यदि किसी सदस्य को वार्षिक आम सभा या विशेष आम सभा में पारित प्रस्ताव द्वारा सदस्यता से निष्कासित किया जाता है। बशर्ते कि यह प्रस्ताव उपस्थित सदस्यों के तीन चौथाई बहुमत से पारित किया गया हो।

v) यदि सदस्य का निधन हो जाता है।

7. सदस्यों का रजिस्टर :-

i) संघ कार्यालय में प्रत्येक वर्ग के सदस्यों के लिए अलग-अलग रजिस्टर रखे जाएंगे तथा उनमें निम्नलिखित विवरण व अन्य आवश्यक ब्यौरे दर्ज होंगे।

(क) सदस्य का नाम, पता, आयु तथा व्यवसाय और अन्य ऐसे विवरण जो कार्यसमिति द्वारा निर्धारित हों।

(ख) प्रवेश/नवीनीकरण की तिथि।

(ग) सदस्यता के समाप्त होने/निष्कासित किए जाने/निलंबित किए जाने की तिथि।

ii) सदस्यता रजिस्टर में प्रविष्टि, सदस्य के प्रवेश/नवीनीकरण या सदस्यता समाप्ति/निष्कासन/निलंबन की तिथि से, पंद्रह दिनों के अंतर्गत की जाएगी।

8. सदस्यों के अधिकार और दायित्व :-

i) प्रत्येक सदस्य संघ की वार्षिक आम सभा, और खुले समारोह में भाग ले सकेगा।

ii) मानद सदस्य सहित प्रत्येक सदस्य को अधिकार होगा कि संघ से संबंधित किसी भी मामले में अपने सुझाव व्यक्त करे, और वार्षिक आम सभा, विशेष

आम सभा, कार्यसमिति या नियामक परिषद के पास विचारार्थ अपना प्रस्ताव भेजे।

iii) प्रत्येक सदस्य संघ के नियमों एवं विनियमों का अनुपालन करेगा तथा साधुमार्गी संप्रदाय के धार्मिक विचारों, आदेशों एवं सिद्धांतों के प्रति निष्ठावान रहेगा।

iv) संघ से संबंधित किसी भी मामले में, अथवा पदाधिकारी के किसी निर्णय/कार्य के बारे में, किसी भी सदस्य द्वारा न्यायालय में कानूनी कार्रवाई करना निषिद्ध होगा।

v) कोई भी सदस्य ऐसे किसी कार्य में संलग्न नहीं होगा जो संघ या साधुमार्गी संप्रदाय के हितों या उसके मतों के प्रतिकूल हो या उनके प्रति अपमानजनक हो।

vi) संघ की कार्यसमिति या नियामक परिषद द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों एवं निर्देशों का पालन करना सदस्य के लिए अनिवार्य होगा।

9. **अध्यक्ष :-** संघ के नियमों एवं उपनियमों के अनुसार संघ सदस्यों में से ही किसी एक उपयुक्त सदस्य को अध्यक्ष मनोनीत/निर्वाचित किया जाएगा। यह निर्णय संघ की आम सभा में लिया जाएगा। साधारणतः यह प्रक्रिया प्रत्येक दो वर्ष में एक बार होगी क्योंकि अध्यक्ष का कार्यकाल दो वर्ष का होगा।

10. कार्यसमिति :-

i) संघ का प्रबंधन, नियंत्रण और पर्यवेक्षण एक संचालक मंडल अथवा प्रबंधक निकाय की देख रेख में होगा जिसे कार्यसमिति के रूप में जाना जाएगा।

ii) मानद सदस्य वर्ग के अलावा संघ के अन्य सभी श्रेणी के सदस्य कार्यसमिति की सदस्यता के पात्र होंगे।

iii) कार्य समिति के सदस्य निम्न प्रकार से होंगे -

(कृपया परिशिष्ट - 1 का भी अवलोकन करें)

क्रमांक	पदनाम	संख्या
(क)	अध्यक्ष	1
(ख)	निवर्तमान अध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष (तीनों)	3
(ग)	उपाध्यक्ष	12
(घ)	महामंत्री	1
(च)	मंत्री	12
(छ)	कोषाध्यक्ष	1
(ज)	सहकोषाध्यक्ष	1
(झ)	प्रवृति संयोजक (संघ की प्रवृतियों के संयोजकों की संख्यानुसार)	

(ट) अन्य कार्यसमिति सदस्य न्यूनतम - 51 अधिकतम - 151

(ठ) अंतर्गत संस्थाओं के अध्यक्ष, महामंत्री

(ड) सहयोगी संस्थाओं के अध्यक्ष, महामंत्री अथवा मुख्य ट्रस्टी

iv) कार्यसमिति के गठन प्रक्रिया में यह आवश्यक होगा कि कम से कम तीस प्रतिशत (30%) ऐसे नए सदस्य चयनित/मनोनीत हों जो तत्काल पूर्ववर्ती काल में कार्यसमिति सदस्य न रहे हों।

v) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री, मंत्री, कोषाध्यक्ष, एवं निवर्तमान अध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष, प्रवृत्ति संयोजक तथा अंतर्गत संस्थाओं के अध्यक्ष व महामंत्री, एवं सहयोगी संस्थाओं के अध्यक्ष/महामंत्री अथवा मुख्य ट्रस्टी कार्यसमिति के पदेन सदस्य होंगे।

vi) अन्य कार्य समिति सदस्य श्रेणी की संख्या में वृद्धि करना हो तो इस हेतु कार्य समिति में प्रस्ताव रखना/पारित करना अनिवार्य होगा।

vii) निम्न पदाधिकारियों/सदस्यों को कार्य समिति की बैठकों में विचार विमर्श एवं सुझाव हेतु आमंत्रित किया जा सकता है :-

i. स्थायी सम्पत्ति संवर्धन परिषद प्रभारी

ii. भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष

viii) कार्य समिति के सदस्यों का कार्यकाल साधारणतः 2 (दो) वर्ष का होगा। यदि वे पुनः निर्वाचित/मनोनीत हों, तो उन्हें अतिरिक्त 4 (चार) वर्ष की कालावधि उपलब्ध हो सकती है। पर किसी भी परिस्थिति में उनका कुल कार्यकाल लगातार 6 (छः) वर्ष से अधिक नहीं होगा। तथापि कार्यकाल की सीमा, प्रवृत्ति संयोजक के सदस्यों एवं निवर्तमान अध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष पर, लागू नहीं होगी।

ix) कार्यसमिति का सदस्य निम्न स्थिति में कार्यसमिति सदस्यता से वंचित माना जाएगा :-

(क) यदि किसी कारणवश वह संघ की ही सदस्यता खो बैठता है।

(ख) यदि वह संघ के अध्यक्ष को लिखित त्याग-पत्र देकर अपनी सदस्यता समाप्त करने का आशय व्यक्त करे तथा वह त्याग-पत्र स्वीकृत हो जाए।

(ग) यदि कार्यसमिति सदस्य लगातार तीन बैठकों में बिना अपरिहार्य/महत्वपूर्ण कारण दर्शाए अनुपस्थित रहता है तो उसे कार्यसमिति से पदमुक्त समझा जाएगा।

x) कार्य समिति की वर्ष भर में कम से कम 4 बैठकें होंगी। दो बैठकों के बीच

अंतराल 4 (चार) महीनों से अधिक का नहीं होना चाहिए।

xi) कार्यसमिति की बैठक महामंत्री द्वारा स्थल, समय, तिथि, व बैठक की कार्यसूची सुनिश्चित व घोषित करते हुए, कम से कम 21 दिनों की सूचना देकर, आयोजित की जाएगी। यह सूचना कार्यसमिति के प्रत्येक सदस्य को दी जाएगी। आपात स्थिति में यह बैठक अध्यक्ष द्वारा, या उनकी सहमति से महामंत्री द्वारा, 24 घंटे की सूचना देकर आयोजित की जा सकेगी।

xii) कार्यसमिति की बैठक की गणपूर्ति (Quorum) 25 सदस्यों की होगी। कोरम के अभाव में बैठक आधे घंटे के लिए स्थगित मानी जाएगी और उस स्थगित बैठक का कोरम 15 सदस्यों का होगा।

xiii) कार्यसमिति की बैठकों में सामान्यतया निम्नलिखित विषयों पर कार्रवाई होगी-

(क) पिछली बैठक की कार्यवाही के रिपोर्ट को पढ़ना और उसकी पुष्टि करना। यदि आवश्यक हो तो रिपोर्ट में सुधार करवाना।

(ख) उन मामलों पर विचार करना जिनके लिए पूर्व सूचना दी गई है।

(ग) बैठक के अध्यक्ष से अनुमति प्राप्त कर किसी अन्य मामले पर चर्चा करना।

xiv) कार्यसमिति को संघ के सभी कार्यों के प्रबंधन, पर्यवेक्षण और नियंत्रण का सामान्य अधिकार होगा। तथापि सामान्य अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निम्नलिखित अधिकार, दायित्व तथा कर्त्तव्य का निर्वहन भी कार्यसमिति से अपेक्षित होगा : -

(क) वार्षिक आम सभा तथा विशेष आम सभा की तिथि, समय, स्थल और कार्यसूची निर्धारित करना।

(ख) महामंत्री द्वारा प्रस्तुत वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार करना तथा उसे अनुमोदित करना ताकि उसे वार्षिक आम सभा में प्रस्तुत किया जा सके।

(ग) वार्षिक आम सभा तथा विशेष आम सभा के समक्ष प्रस्तुतिकरण हेतु प्रस्तावों का प्रारूप तैयार करना।

(घ) समिति या उप समिति के कार्यचालन हेतु संघ के उद्देश्यों, नियमों तथा विनियमों के अनुरूप उपनियम तथा मार्गदर्शी सिद्धांत सूत्रित करना।

(च) नियामक परिषद के मार्गदर्शी सिद्धांतों, निर्देशों एवं निर्णयों का पालन करना तथा उन्हें प्रभावोत्पादक बनाना।

(छ) संघ को वित्तीय क्रियाकलापों एवं अन्य कार्यों से अवगत कराना।

(ज) संघ के उद्देश्यों को पूरा करने हेतु जनता से और स्थानीय प्राधिकारियों

से या राज्य एवं केन्द्रीय सरकार से सहायता राशि अनुदान प्राप्त करना।

(झ) विशेष प्रवृत्ति हेतु, जो संघ के प्रयोजनों से असंगत नहीं है, अनुदान प्राप्त करना।

(ट) संघ का उचित लेखा रखना तथा लेखे को वार्षिक आम सभा में अनुमोदन एवं अपनाए जाने हेतु प्रस्तुत करना।

(ठ) संघ के अन्य सभी आवश्यक कार्यो को संपादित करना, जिसके लिए राजस्थान सोसाइटीज पंजीकरण अधिनियम 1958 के अधीन कार्यसमिति को प्राधिकृत किया गया हो, इस बात का विचार किए बिना कि उनका उल्लेख इन नियमों एवं विनियमों में नहीं किया गया है।

(ड) संघ के पक्ष में या उसके विरुद्ध किसी तरह की कानूनी कार्रवाई की स्थिति में वाद प्रतिवाद दायर करने इत्यादि के लिए एक या एक से अधिक पदाधिकारी या अन्य व्यक्तियों को प्राधिकृत करना।

(ढ) सभी श्रेणियों के सदस्यों के लिए समय - समय पर सदस्यता शुल्क की समीक्षा करना तथा उनमें संशोधन करना।

(त) वार्षिक आम सभा व विशेष आम सभा के संकल्पों का पालन करना।

(थ) संघ के सदस्य/सदस्यता से संबंधित समस्याओं का तथा संघ-संबद्ध अन्य विवादित मामलों/मतभेदों का निवारण/निराकरण करना ; यदि आवश्यक हो तो विवादित मसले को नियामक परिषद के समक्ष निराकरण हेतु प्रस्तुत करना।

11. नियामक परिषद् :-

(I) लक्ष्य एवं उद्देश्य :-

i) यह सुनिश्चित करना कि संघ की सभी प्रवृत्तियां मौलिक उद्देश्यों के अनुरूप हों।

ii) सुदीर्घ प्रोजेक्ट एवं प्रस्तावित योजनाओं के कार्यान्वयन में प्राथमिकताओं को तय करना।

iii) यह सुनिश्चित करना कि पदाधिकारी की चयन प्रकिया में दृढ नैतिकता तथा पूर्ण पारदर्शिता बनी रहे।

iv) यह सुनिश्चित करना कि संघीय रीति - नीति का अनुपालन हो।

v) संघ के उत्तरोत्तर विकास व गतिशीलता पर समीक्षात्मक दृष्टि रखना।

(II) नियामक परिषद के अधिकार :-

i) परिषद के सदस्यों को कार्यसमिति की बैठक/आम सभा/विशेष सभा एवं संघ की अन्य महत्वपूर्ण बैठकों में उपस्थित रहने का अधिकार होगा।

ii) संघ के विधान द्वारा प्रारूपित किसी भी उद्देश्य को पूर्ण करने में प्रस्तावित योजना, क्रियान्वयन की पद्धति, संघ की संगठनात्मक प्रणाली, चुनाव प्रक्रिया एवं कार्यप्रणाली इत्यादि के सम्बन्ध में नियामक परिषद का निर्णय/निर्देश, सर्वोच्च, अंतिम एवं सर्वमान्य होंगा। यह प्रावधान संघ के विधान व नियम/विनियम के अनुच्छेद 30(1) के संयोजन में समझा जाए।

12. पदाधिकारी कार्यकाल :-

(अ) नियामक परिषद् कार्यकाल : नियामक परिषद् संघ के स्थायी निकाय के रूप में कार्य करेगी। नियामक परिषद् में कम से कम 5 सदस्य होंगे। परिषद् के सदस्यों का कार्यकाल साधारणतः 4 वर्ष का रहेगा। परिषद सदस्यों का कार्यकाल अतिरिक्त 4 वर्षो तक बढाया जा सकता है, जिसमें कम से कम 2 सदस्य पदमुक्त होंगे, तथा कम से कम 2 नए सदस्य पदस्थ होंगे। जब तक नए सदस्यों का मनोनयन नहीं होता, विद्यमान सदस्य ही कार्यरत रहेंगे।

(ब) पदाधिकारी कार्यकाल : अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष, सहकोषाध्यक्ष एंव मंत्री का चयन 2 वर्षो के लिए किया जाएगा। विधान के अनुच्छेद 13 के अनुसार यदि आवश्यक हो तो यह कालावधि आगामी 2 वर्षो तक बढाई जा सकती है। यदि कार्यकाल के मध्य में स्थान रिक्त हो जाए तो शेष कार्यकाल तक ही नए पदाधिकारी की नियुक्ति होगी।

(स) दायित्व ग्रहण : किसी भी पदाधिकारी, प्रवृत्ति संयोजक, कार्यसमिति सदस्य, संवर्धन परिषद सदस्य, नियामक परिषद् सदस्य, शाखा प्रभारी, क्षेत्रीय प्रभारी एवं संभाग प्रमुख का दायित्व ग्रहण, शपथ प्रक्रिया संपूर्ण होने पर ही आरंभ होगा।

13. चयन, शपथ एवं त्याग पत्र प्रक्रिया :-

(अ) चयन प्रक्रिया -

i) नियामक परिषद -

(क) प्रथम चरण में संघ अध्यक्ष एवं विधान संशोधन समिति मिलकर उपयुक्त तथा सुयोग्य व्यक्तियों की नियुक्ति करेंगे। इनमें से एक सदस्य परिषद के प्रमुख के रुप में कार्य करेगा। तदनंतर सदस्यों की नियुक्ति, प्रतिस्थापन एवं निवृत्ति आवश्यकतानुसार नियामक परिषद के सदस्यों द्वारा होगी।

(ख) नियामक परिषद सदस्यों का कार्यकाल, अध्यक्षीय कार्यकाल से प्रभावित नहीं होगा। अन्य पदाधिकारियों के कार्यकाल-संबंधी नियम, नियामक परिषद के सदस्यों पर लागू नहीं होंगे।

ii) **अध्यक्ष -**

(क) अध्यक्ष का चयन आम सभा में होगा। अध्यक्ष पद के लिए उपयुक्त अभ्यर्थियों के नाम/प्रस्ताव, नियामक परिषद के पास 31 मार्च तक भेजे जा सकते हैं। सदस्य स्वयं की भी अभ्यर्थिता प्रस्तुत कर सकता है।

(ख) नियामक परिषद, उपरोक्त नामों के आधार पर यथोचित नाम, अथवा संघ सदस्यों में से अन्य यथोचित नाम, चयनित करेगी। उस चयनित नाम को वर्तमान अध्यक्ष द्वारा आम सभा में प्रस्तावित किया जाएगा।

(ग) यदि प्रस्ताव बहुमत से पारित होता है, तो वह व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में चयनित माना जाएगा। अन्यथा नियामक परिषद द्वारा दूसरा (second) उपयुक्त नाम आम सभा के समक्ष रखा जाएगा।

(घ) यदि दूसरा प्रस्तावित नाम भी बहुमत से पारित न हो तो नियामक परिषद को अधिकार होगा कि वह अध्यक्ष पद के लिए सुयोग्य तीसरे व्यक्ति को मनोनीत/चयनित करे; यह निर्णय सर्वमान्य होगा।

iii) **पदाधिकारी एवं अन्य कार्यसमिति सदस्य :-**

(क) संघ अध्यक्ष, नियामक परिषद से परामर्श करके, महामंत्री तथा कोषाध्यक्ष का चयन करेगा।

(ख) सहकोषाध्यक्ष, प्रवृत्ति संयोजक एवं अन्य कार्यसमिति के सदस्य का मनोनयन संघ अध्यक्ष करेगा।

(ग) उपाध्यक्ष तथा मंत्री का चयन/मनोनयन अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा।

iv) **शाखा प्रभारी, क्षेत्रीय प्रभारी एवं संभाग प्रमुख :-** शाखा प्रभारी, क्षेत्रीय प्रभारी एवं संभाग प्रमुख का चयन संघ अध्यक्ष करेगा।

(ब) शपथ प्रक्रिया - नियामक परिषद के प्रमुख को शपथ ग्रहण संघ अध्यक्ष करवाएगा। नियामक परिषद् के अन्य सदस्यों को, नियामक परिषद् प्रमुख शपथ ग्रहण करवाएगा। अध्यक्ष को शपथ नियामक परिषद् का प्रमुख दिलवाएगा। अन्य पदाधिकारियों को शपथ संघ अध्यक्ष करवाएगा। प्रवृत्ति संयोजकों को, तथा स्थायी सम्पत्ति संवर्धन परिषद के एवं कार्यसमिति के सदस्यों को, शपथ ग्रहण, अध्यक्ष द्वारा करवाया जाएगा। शाखा प्रभारी, क्षेत्रीय प्रभारी, संभाग प्रमुख को शपथ ग्रहण उपाध्यक्ष करवाएगा।

(स) त्याग पत्र प्रक्रिया :-

(I) **यदि कोई पदाधिकारी पदमुक्ति हेतु या अन्य किसी कारण से त्यागपत्र देना चाहे तो निम्न प्रक्रिया ध्यान में रखना होगा :**

i) नियामक परिषद् प्रमुख अपना त्याग पत्र संघ अध्यक्ष को सौंपे।

ii) संघ अध्यक्ष अपना त्याग पत्र नियामक परिषद के प्रमुख को सौंपे।

iii) नियामक परिषद सदस्य अपना त्याग पत्र परिषद के प्रमुख को सौंपे।

iv) अन्य पदाधिकारी, स्थायी सम्पत्ति संवर्धन परिषद सदस्य, एवं कार्यसमिति सदस्य अपना त्याग पत्र संघ अध्यक्ष का सौंपेंगे।

v) शाखा प्रभारी, क्षेत्रीय प्रभारी एंव संभाग प्रमुख अपना त्याग पत्र संघ अध्यक्ष को सौंपेंगे।

(II) **अन्य सदस्यों का त्याग पत्र**

i) संघ का साधारण/विशेष सदस्य, संघ की सदस्यता से स्वयं को विलग करने हेतु, महामंत्री को त्याग पत्र दे सकता है।

ii) तथापि त्याग पत्र की स्वीकृति पर, तथा संघ से पृथक्करण के पश्चात् भी, सदस्यता शुल्क की राशि अथवा उसका कोई अंश उसे प्रतिदेय नहीं होगा।

14. <u>पदाधिकारियों का पदच्युत/पदमुक्त होना :-</u> संघ के पदाधिकारी अपने पद पर निम्न स्थितियों में नहीं बने रह सकते :

(i) यदि वे त्यागपत्र देते हैं और कार्यसमिति द्वारा उसे स्वीकार कर लिया जाता है।

(ii) यदि उन्हें सक्षम न्यायालय द्वारा विक्षिप्त घोषित कर दिया जाता हैं।

(iii) यदि वे कार्यसमिति द्वारा श्री संघ की ही सदस्यता से निष्कासित कर दिए जाते हैं।

(iv) यदि वे कार्यसमिति की लगातार तीन बैठकों में बिना अपरिहार्य एवं महत्वपूर्ण कारण दर्शाए अनुपस्थित रहते हैं।

15. <u>रिक्त स्थान की पूर्ति :</u>

i) यदि अध्यक्ष के पद पर रिक्ति हो जाती है तो उसकी पूर्ति हेतु नियामक परिषद द्वारा किसी उपाध्यक्ष के नाम को कार्यसमिति में प्रस्तावित किया जाएगा। यदि प्रस्ताव पारित होता है तो पूर्व अध्यक्ष के शेषकाल तक ही, इस प्रकार चयनित उपाध्यक्ष, अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।

ii) यदि महामंत्री/कोषाध्यक्ष के पद रिक्ति होती है तो उसकी पूर्ति हेतु अध्यक्ष द्वारा नियामक परिषद से परामर्श करके कार्यसमिति के सदस्यों में से ही किसी का चयन किया जाएगा। चयनित सदस्य का कार्यकाल शेष कालावधि के लिए ही होगा।

iii) यदि कार्य समिति में कोई अन्य रिक्ति होती है तो अध्यक्ष द्वारा किसी नए सदस्य की नियुक्ति 30 दिन के भीतर की जाएगी। मनोनीत सदस्य का कार्यकाल शेष कालावधि के लिए ही होगा।

iv) यदि स्थायी सम्पत्ति संवर्धन परिषद सदस्य, प्रवृत्ति सदस्य, प्रवृत्ति संयोजक, शाखा प्रभारी, क्षेत्रीय प्रभारी अथवा संभाग प्रमुख के पद की रिक्ति होती है तो संघ अध्यक्ष द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु नए सदस्य की नियुक्ति की जाएगी।

16. **<u>पात्रता :-</u>** नियामक परिषद, पदाधिकारी, स्थायी संपत्ति संवर्धन परिषद् सदस्य, अंतर्गत संस्थाओं के पदाधिकारी एवं सहयोगी संस्थाओं की पात्रता हेतु अनिवार्य शर्तेः-

i) श्री अ. भा. सा. जैन संघ का आजीवन सदस्य हो।

ii) वर्तमान आचार्य श्री में पूर्ण आस्था रखता हो।

iii) तम्बाकू, बीडी, सिगरेट, गुटका, शराब, अण्डा, मांस, गाँजा इत्यादि व्यसनों का सेवन न करने वाला हो।

नोट : पदाधिकारी केवल एक ही पद ग्रहण कर सकेगा। तथापि स्थानीय स्तर पर वह समकालिक पदभार संभाल सकता है।

17. **<u>अध्यक्ष के अधिकार एवं कर्त्तव्य :-</u>**

i) संघ के विकास हेतु संसाधनों का प्रबंध करना तथा उसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करना/कार्य प्रवर्तित करना।

ii) दो वर्षो की अवधि के लिए कार्यसमिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों को मनोनीत करना। (अनुच्छेद 13 एवं 15 के अनुसार)

iii) पदाधिकारी, अन्य कार्यसमिति सदस्य, शाखा प्रभारी, क्षेत्रीय प्रभारी, संभाग प्रमुख, स्थायी संपत्ति संवर्धन परिषद, एवं अंतर्गत संस्थाओं के कार्यों का पर्यवेक्षण करना तथा वार्षिक आम सभा/विशेष आम सभा के सभी कार्रवाई/संकल्पों के लिए स्वयं को नैतिक रूप से उत्तरदायी मानना।

iv) संघ की बैठकों में (स्थायी संपत्ति संवर्धन परिषद् एवं नियामक परिषद की बैठकों को छोड़कर) भाग लेना/अध्यक्षता करना तथा उन बैठकों की कार्यवाही के संचालन में सहायक होना।

v) संघ के किसी भी परिसर में, या उसके नाम पर, अवैध या अवांछनीय क्रियाकलापों के लिए अनुमति न देना, और यह सुनिश्चित करना कि संघ के सभी नियमों एवं विनियमों का यथोचित पालन किया जाता है।

vi) जो विषय कार्यसूची में शामिल नहीं है उस पर विचार-विमर्श के लिए अनुमति देना/न देना।

vii) मतदान में बराबरी हो जाने की स्थिति में अपना निर्णायक मत देना।

viii) नियमों एवं विनियमों के अधीन, व आवश्यकतानुसार, कार्यसमिति की बैठक, वार्षिक आम सभा, विशेष आम सभा इत्यादि स्थगित या निरस्त करना।

ix) संघ या उसके अधिकारियों/पदाधिकारियों के पक्ष/विरोध में, या संघ के कार्यो संबंधित, किसी कानूनी कार्रवाई को संस्थापित/संचालित करना, उसमें समझौता करना, या उसका परित्याग करना।

x) नियामक परिषद द्वारा दिए गए निर्देशों, अनुदेशों और आदेशों का पालन करना।

xi) संघ के लिए किसी चल संपत्ति, सरकारी कागजात, डिबेंचर आदि क्रय-विक्रय करते समय कोषाध्यक्ष के साथ सभी अपेक्षित कागजात पर यथावश्यक हस्ताक्षर करना। इसके साथ ही अचल संपत्ति के क्रय-विक्रय या उसे किराए पर लेने/देने अथवा किरायेदार को निष्कासित करने के मामले में, स्थायी संपत्ति संवर्धन परिषद द्वारा अधिकृत व्यक्तियों सहित सभी आवश्यक कागजात या दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना और क्रय-विक्रय को पंजीकृत कराना।

xii) कोषाध्यक्ष के साथ संघ के नेमी भुगतान करने के लिए संयुक्त हस्ताक्षर करना।

xiii) शाखा प्रभारी, क्षेत्रीय प्रभारी तथा संभाग प्रमुख का मनोनयन करना।

18. **<u>उपाध्यक्ष के अधिकार एवं कर्त्तव्य :-</u>**

i) अध्यक्षीय कार्यो को संपादित करने में अध्यक्ष की सहायता करना।

ii) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके स्थानापन्न के रूप में कार्य करना तथा कार्यसमिति के निर्देशों के अनुसार संघ के कार्यो को संचालित करना ।

iii) कार्यसमिति, आम सभा एवं विशेष आम सभा को छोड़कर अन्य क्षेत्रीय संघीय कार्यक्रमों में समारोह की अध्यक्षता करना। तथापि अध्यक्ष उस समारोह को संघ गौरव के रूप में अपनी गरिमामय उपस्थिति से अनुगृहीत कर सकते हैं।

iv) अपने कार्यक्षेत्र के मंत्री, शाखा प्रभारी, क्षेत्रीय प्रभारी एवं संभाग प्रमुख तथा अन्य प्रमुख सदस्यों एवं स्थानीय संघ के अध्यक्ष/मंत्री की एक संयुक्त सभा वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित करना।

19. महामंत्री के अधिकार एवं कर्त्तव्य :-

i) संघ के कार्यों का पर्यवेक्षण, प्रबंधन, देखरेख करना, यह सुनिश्चित करने हेतु कि उनका यथोचित निष्पादन हो रहा है; संघ के नियमों एवं विनियमों के अनुसार उसके विकास एवं प्रचार-प्रसार हेतु यथोचित कार्रवाई करना।

ii) संघ की ओर से पत्राचार करना; बैठकों की कार्यवाही का सही, प्रामाणिक, यथोचित विवरण लिपिबद्ध करवाना तथा कार्यालय अभिलेख के स्वरूप में उस कार्यवृत्त को सुरक्षित रखना।

iii) नियमों में जैसा प्रावधानित है तदनुसार बैठक/सभा आयोजित करना तथा तत्संबद्ध तिथि, समय, स्थल व कार्यसूची तय करना।

iv) वार्षिक आम सभा की सूचना जारी करने से पूर्व सभी सदस्यों की संशोधित सूची तैयार करना और उसे कार्यसमिति के समक्ष प्रस्तुत करना।

v) अध्यक्ष की अनुमति से कार्यसमिति की बैठक, वार्षिक आम सभा तथा विशेष आम सभा के आयोजन की सूचना जारी करना।

vi) प्रत्येक बैठक के प्रारंभ में संघ के गान का सामूहिक रूप से खडे रहकर वाचन करवाना।

vii) पिछली बैठक/सभा के कार्यवृत्त को पढ़ना, अथवा उपस्थित सदस्यों की सहमति से ही उन्हें पढ़ा हुआ मान लेना। यदि कार्यवृत्त सही न हो तो उसमें संशोधन करवाना।

viii) कार्यसमिति के अनुमोदन हेतु सदस्यता के लिए आवेदन और ऐसे अन्य पत्राचार व पत्र, जिन्हें अध्यक्ष के समक्ष या कार्यसमिति के समक्ष अनुमोदनार्थ /विचारार्थ प्रस्तुत करना आवश्यक समझा जाए, उचित व औपचारिक रूप से प्रस्तुत करना।

ix) वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करना और अनुमोदन हेतु कार्यसमिति के समक्ष प्रस्तुत करना।

x) वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित आय एवं व्यय लेखा व तुलनपत्र, तथा उसके साथ लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट को प्रकाशित करना और उन्हें वार्षिक आम सभा से पूर्व सदस्यों तक पहुंचाना।

xi) यह सुनिश्चित करना कि संघ के कार्य से संबंधित हर प्रकार के दस्तावेज /कागजात यथोचित रीति से फाइल किए गए हैं, तथा सुरक्षित हैं।

xii) संघ के दैनंदिन खर्च के लिए हस्ताक्षरित अनुरोध के साथ कोषाध्यक्ष से राशि की माँग करना।

xiii) याचिकाओं, वाद-पत्रों, लिखित विवरणों, आवेदनों आदि को हस्ताक्षरित करना तथा सत्यापित करना; संघ की ओर से एडवोकेट नियुक्त करना और वकालतनामा पर हस्ताक्षर करना।

xiv) संघ के लिए तथा संघ की ओर से पंजीकरण कार्यालय में सोसाइटी के रजिस्ट्रार के कार्यालय में या आयकर अधिकारी/प्राधिकारी या अधिकरण (Tribunal) या अन्य किसी सार्वजनिक या निजी कार्यालय या विभाग में या प्राधिकारी के सम्मुख उपस्थित होना।

xv) संघ की गतिविधियों पर तिमाही रिपोर्ट समेकित (Consolidate) करना तथा उसे केन्द्रीय कार्यालय को भेजना।

20. मंत्री के अधिकार एवं कर्त्तव्य :-

i) महामंत्री के सभी कार्यों में हाथ बंटाना।

ii) महामंत्री की अनुपस्थिति में उनके स्थानापन्न के रूप में कार्य करना।

iii) सभी बैठकों एवं क्षेत्रीय/राष्ट्रीय कार्यक्रमों की रिपोर्ट तैयार करना।

iv) क्षेत्रीय चातुर्मास की समुचित जानकारी रखना; क्षेत्र में चारित्र आत्माओं के विहार-विचरण की देख-रेख करना।

v) संघ के सदस्यों को धर्म-मार्ग पर अग्रसर करने हेतु प्रोत्साहित करना, व उनकी यथासंभव सहायता करना; साधुमार्गी घरों की देख रेख करना।

vi) संघ सदस्यता में वृद्धि/विस्तार हो, तथा अधिकाधिक साधुमार्गी परिवार संघ की ओर आकृष्ट हों, एतदर्थ उत्प्रेरणा व प्रोत्साहन देना।

vii) संघ के डाटा अद्यतन (Data updation) करने में केन्द्र की हर संभव सहायता करना।

viii) वीर परिवार के सम्पर्क में रहना, उनकी देख - भाल करना, उन्हें दर्शन लाभ आदि दिलवाना।

ix) अपने अपने क्षेत्र में समकित लेने वालों का विस्तृत विवरण, एवं नए संघ सदस्यों की सूची, प्रति तीन माह में संघ कार्यालय को भेजना।

21. कोषाध्यक्ष/सहकोषाध्यक्ष के कर्त्तव्य :-

(अ) कोषाध्यक्ष :

i) संघ के निधि की देखभाल करना तथा यह देखना कि लेखा-कार्य का संपादन लेखाकरण पद्धति के अनुसार होता है।

ii) संघ के पंजीकृत कार्यालय में अपेक्षित लेखाबहियों को रखना और उसमें संघ की सभी प्राप्तियों, भुगतानों, लेनदेन, नियोजनों और संपत्तियों की यथोचित

प्रविष्टि की व्यवस्था करना; तथा उक्त लेखाबहियों, रसीदों, कागजात और लेखों को संघ के कार्यालय में अपनी अभिरक्षा में रखना।

iii) लेखा वर्ष की समाप्ति के तीन माह के अंतर्गत संघ के आय एवं व्यय लेखा तथा तुलनपत्र को तैयार करना और उसे कार्यसमिति के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करना; अनुमोदित होने के बाद उसे संघ के लेखा परीक्षकों को लेखापरीक्षा हेतु, व उस पर उनकी रिपोर्ट हेतु, प्रेषित करना। यदि आवश्यक हो तो कार्यसमिति के समक्ष प्रस्तुत करना और कार्यसमिति के अनुमोदन के बाद उन सारी औपचारिकताओं का पालन करना जो आयकर अधिनियम, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम इत्यादि में प्रावधानित हो।

iv) संघ की निधि और उसके निवेश के संबंध में स्थायी सम्पत्ति संवर्धन परिषद के निर्देशों का पालन करना।

v) संघ की ओर से उन वित्तीय प्रपत्रों पर संयुक्त हस्ताक्षर करना जिनके लिए कोषाध्यक्ष को प्राधिकृत किया गया हो - विशेषकर हुंडी, ड्राफ्ट या अन्य प्रतिभूतियों या सावधि जमा रसीदों या चेकों पर ।

vi) संघ के नाम से बैंक में खाता खोलना, खाता को प्रचालित करना और यथावश्यक खाता बंद करना, और नियमों के अनुसार संयुक्त रूप से बैंक के खाते के संबंध में अन्य सभी कार्य करना।

vii) यह सुनिश्चित करना कि सभी चैक/भुगतान आदेश/ड्राफ्ट अन्य बैंकिंग प्रपत्र पर संघ की ओर से संयुक्त हस्ताक्षर किए जाएं। इनमें से एक हस्ताक्षर अनिवार्य रुप से कोषाध्यक्ष का रहेगा। कोषाध्यक्ष के अतिरिक्त अन्य हस्ताक्षरकर्ता निम्न अधिकृत व्यक्तियों में से एक अथवा एक से अधिक हो सकता है : (अ) अध्यक्ष; (ब) महामंत्री; (स) जो मंत्री परिषद (Core Committee) द्वारा इस हेतु विधिवत् प्राधिकृत किया गया हो।

viii) संघ के सभी विलेखों, डिबेंचरों, प्रतिभूतियों और अन्य महत्वपूर्ण एवं मूल्यवान दस्तावेजों को अपनी निगरानी और अभिरक्षा में रखना।

ix) सभी अधिशेष राशियों को चाहे जिस तरह की हों, जो दैनंदिन व्यय के लिए तत्काल आवश्यक नहीं हों, संघ के बैंकरों के पास जमा करना; रु. 25 लाख से अधिक की राशि का संवर्धन परिषद के निर्देशानुसार निवेश करना।

x) कार्यकाल की समाप्ति पर, बैंक अकाउन्ट/सावधि जमा रसीद संबंधी हस्ताक्षर प्रक्रिया एवं आय/व्यय और तुलन पत्र का अंतरिम (Provisional) चिट्ठा 30 दिन के अंतर्गत पूर्ण करना तथा उन्हें संघ के अध्यक्ष/महामंत्री के हस्ताक्षर सहित, नव निर्वाचित कोषाध्यक्ष को सौंपना।

xi) स्थायी संपत्ति रजिस्टर की लेखा परीक्षा ऑडिट(audit) प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार करवाना।

(ब) सहकोषाध्यक्ष

i) कोषाध्यक्ष के उपरोक्त सभी कार्यो में सहयोग प्रदान करना।

ii) कोषाध्यक्ष के अनुपस्थिति में कोषाध्यक्ष के दायित्व का निर्वहन करना।

22. <u>स्थायी संपत्ति संवर्धन परिषद :-</u>

संघ की निधियों, आस्तियों और संपत्तियों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु उपरोक्त परिषद गठित होगा, जो एतदर्थ कार्यरत रहेगा।

i) परिषद में प्रभारी सहित कुल 5 चयनित सदस्य होगें। इनका चयन संघ अध्यक्ष स्वयं करेंगे। इस परिषद का कार्यकाल 4 वर्ष का रहेगा।

ii) संघ के अध्यक्ष, महामंत्री और कोषाध्यक्ष संवर्धन परिषद के पदेन सदस्य होंगे।

iii) चयनित सदस्यों के अलावा संघ की सभी आस्तियां, संपत्तियां और निधियाँ उपरोक्त परिषद में निहित होंगी। परिषद के निम्नलिखित अधिकार और दायित्व होंगे -

(क) चल/अमूर्त सम्पत्ति : संघ का अध्यक्ष चल/अमूर्त सम्पत्ति के विषय में रु. 25 लाख तक के लेन देन का निर्णय ले सकता है। यदि यह रकम रु. 25 लाख से अधिक हो, तो स्थायी संपत्ति संवर्धन परिषद को ही निर्णय लेने का अधिकार होगा, तथापि इस हेतु परिषद को अनिवार्य रूप से आगामी कार्यसमिति के बैठक में तत्संबद्ध समुचित प्रस्ताव पारित करवाना होगा। उदाहरण स्वरुप :

(अ) प्रतिभूति - युक्त ऋण ब्याज पर देना।

(आ) संघ की चल निधियों का बैंक बचत योजना, डिबेंचरों या किसी कंपनी, एसोशिएशन, न्यास, स्थानीय प्राधिकारों या सरकार की अन्य प्रतिभूतियों में निवेश करना, अथवा उसे विक्रय करना, या इस प्रकार उनका निपटान करना कि निवेश/बिक्री/निपटान भारतीय न्यास अधिनियम, या आय कर अधिनियम, 1961, अथवा समय-समय पर भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा तत्सम्बद्ध जारी अधिनियम, से असंगत न हो।

(इ) किसी एक निवेश से निधि को हस्तांतरित कर दूसरे निवेश में लगाना।

(ई) संघ के उपयोग हेतु चल/अमूर्त संपत्तियों को खरीदना जैसे कम्प्यूटर, सोफ्टवेयर, दुपहिया वाहन, चौपहिया वाहन, टेन्ट, बर्तन, अन्य किसी भी प्रकार की चल सम्पत्ति।

(ख) अचल संपत्ति :

i) संघ की अचल सम्पत्ति के निम्न लेन देन संबंधित विचार-विमर्श तथा निर्णय स्थायी सम्पत्ति संवर्धन परिषद् का दायित्व व अधिकार होगा;

(अ) भवन के निर्माण या विस्तार हेतु, अथवा अन्य संपत्ति अर्जित करने हेतु।

(आ) किसी अचल संपत्ति को खरीदना, किसी भवन या जमीन को अर्जन/ग्रहण करना या पट्टे पर लेना, उसे बनाने, गिराने, सजाने, सुधार करने, रखरखाव करने और विकसित करने का कार्य करना, अथवा उसे किराये या पट्टे पर देना।

(इ) संघ की किसी अचल संपत्ति को बेचना, उसका अंतर्विनिमय करना, उसे परिवर्तित करना, या पट्टे पर देना।

(ई) अन्य प्रकार के लेन देन।

ii) तथापि विचार विमर्श/निर्णय के पश्चात परिषद के लिए यह आवश्यक होगा कि इस विषय में यथोचित प्रस्ताव कार्य समिति की बैठक में प्रस्तुत करे।

iii) लेन देन की कार्यवाही कार्यसमिति में तत्संबद्ध प्रस्ताव पारित होने के पश्चात ही आरम्भ की जा सकेगी।

(ग) अन्य निर्देश:

i) कोषाध्यक्ष को यह निर्देश देना कि संवर्धन परिषद् के प्रस्ताव के अनुसार संघ की निधियों का ब्याज पर निवेश करे।

ii) संघ की संपत्तियों, आस्तियों और निधियों की उचित अभिरक्षा, रखरखाव, मरम्मत और देखभाल के लिए व्यवस्था करना।

iii) स्थानीय शाखाओं तथा समता भवन संबंधी दस्तावेज/कागजात की मूल प्रति अथवा छाया प्रति केन्द्रीय कार्यालय में सुरक्षापूर्वक रखना। साथ ही भवनों/कार्यालय की इमारतों के छायाचित्र (फोटोग्राफ) भी केन्द्रीय कार्यालय में रखना।

(घ) <u>बैठक संबंधी निर्देश :</u>

i) परिषद् प्रभारी को, अथवा परिषद् प्रभारी के निर्देश से महामंत्री को, स्थायी संपत्ति संवर्धन परिषद की बैठक आयोजित करने का अधिकार होगा। यह बैठक कम से कम 24 घंटों की सूचना देकर बुलाई जा सकेगी, जिसमें तिथि, समय, स्थल व बैठक की कार्यसूची का उल्लेख किया जाएगा।

ii) संवर्धन परिषद के सभी बैठकों की अध्यक्षता प्रभारी करेंगे। बैठक में यदि मुख्य प्रभारी की अनुपस्थिति हो तो उपस्थित सदस्य आपस में से किसी एक को अध्यक्षता के लिए चुनेंगे।

iii) संवर्धन परिषद की बैठक का कोरम चार का होगा, जिनमें से कम से कम तीन चयनित सदस्य होंगे और एक पदेन सदस्य होगा। संवर्धन परिषद का निर्णय या तो बैठक में, अथवा परिसंचरण (Circulation) द्वारा, सदस्यों की लिखित राय के आधार पर, लिया जाएगा।

iv) संवर्धन परिषद की बैठक की कार्यवाही का विवरण प्रभारी द्वारा यथोचित रजिस्टर में विधिवत दर्ज कराया जाएगा।

23. <u>लेख एवं अभिलेख :-</u>

निम्न दस्तावेज/लेख/कागजात संघ के पंजीकृत कार्यालय में रखे जाएंगे।

i) लेख एवं अभिलेख संबंधी बहियां/दस्तावेज/कागजात।

ii) संघ के लोगो (Logo) से संबंधित कागजात, संघ के लोगो (Logo) रजिस्ट्रेशन, पेटेन्ट इत्यादि।

iii) अन्य किसी अमूर्त आस्तियों (intangible assets) के कागजात।

iv) संत एवं सती वर्ग की दीक्षा संबंधी अनुमति, आवश्यक कागजात इत्यादि।

v) संघ की चल-अचल संपत्ति संबंधी कानूनी कागजात।

vi) शाखाओं के स्वामित्व के समता भवन या परिसर या जमीन के पट्टे के कागजात, मूल प्रति अथवा छाया प्रति के स्वरुप में।

vii) अन्य कोई अनुबंध पत्र।

24. <u>हस्तान्तरण प्रक्रिया :-</u>

अध्यक्षीय कार्यकाल की समाप्ति पर निम्न हस्तान्तरण की प्रक्रिया 30 दिन के अंतर्गत संपन्न की जाएगी।

i) कार्यसमिति, आम सभा एंव विशेष आम सभा की विवरण पुस्तिका (Minutes Book)

ii) बैंक खाता प्रचालन हेतु हस्ताक्षर।

iii) महत्वपूर्ण दस्तावेज, सूची सहित।

iv) नियामक परिषद द्वारा प्रारूपित योजनाएं एवं दिशानिर्देश के अन्य महत्त्वपूर्ण कागजात।

नोट : हस्तान्तरण की प्रक्रिया तभी सम्पूर्ण मानी जाएगी जब निवर्तमान अध्यक्ष सभी दस्तावेज तथा दस्तावेजों की एक सूची नव-निर्वाचित अध्यक्ष को सौंप चुके होंगे, तथा उक्त सूची, और जहां उपयुक्त हो, दस्तावेज, दोनों अध्यक्षों, नवनिर्वाचित तथा निवर्तमान, द्वारा हस्ताक्षरित हुए होगें।

***25. <u>भौगोलिक क्षेत्र विभाजन :-</u>**

श्री संघ की योजनाओं का कार्यान्वयन करने के लिए, पदाधिकारियों का एवं

कार्यसमिति के सदस्यों का चयन करने के लिए, तथा शाखाओं के सुचारु कार्यचालन हेतु, समस्त संघ कार्यक्षेत्र निम्न 10 (दस) अंचलों में विभाजित किया जाएगा।

*** (कृपया परिशिष्ट 2 एवं अनुबन्ध का अवलोकन करें।)**

i) मेवाड़ अंचल
ii) बीकानेर मारवाड़ अंचल
iii) जयपुर एवं ब्यावर अंचल
iv) मालवा अंचल
v) छत्तीसगढ़ - ओड़िसा अंचल
vi) दक्षिण भारत अंचल
vii) महाराष्ट्र एंव गुजरात अंचल
viii) बंगाल, बिहार एवं नेपाल अंचल
ix) आसाम, त्रिपुरा एंव भूटान अंचल
x) दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, एवं उत्तरी अंचल

इन उपरोक्त अंचलों में कार्यों के विकेन्द्रीकरण की दृष्टि से आंचलिक कार्यालयों का स्थापन किया जा सकता है। इस हेतु यथोचित प्रस्ताव कार्यसमिति की बैठक में एवं आम सभा में पारित किया जाना आवश्यक होगा।

संघ कार्यक्षेत्र के अनुल्लिखित भूभागों के विभाजन के विषय में संघ अध्यक्ष, संघ हित को ध्यान में रखते हुए, तथा नियामक परिषद से परामर्श करने के पश्चात, नवीन अंचल के गठन हेतु कार्यसमिति में यथोचित प्रस्ताव रख सकते हैं।

26. वार्षिक आम सभा, विशेष आम सभा :-

i) वार्षिक आम सभा प्रत्येक वर्ष इस प्रकार आयोजित होगी कि दो क्रमिक वार्षिक आम सभाओं के बीच पंद्रह महीनों से अधिक का अंतराल न हो।

ii) वार्षिक आम सभा में निम्नलिखित विषयों पर विचार-विमर्श होगा :-

(क) वार्षिक रिपोर्ट पर चर्चा करना, और उसे पारित करना तथा लेखापरीक्षित लेखे को स्वीकार करना।
(ख) नए अध्यक्ष का निर्वाचन/चयन दो वर्षों के लिए अनुमोदित करना।
(ग) प्रत्येक वर्ष, ऑडिट हेतु, लेखापरीक्षकों की नियुक्ति करना और उनका पारिश्रमिक तय करना।
(घ) पूर्व अधिसूचित विषयों पर विचार करना।
(च) अध्यक्ष की अनुमति से किसी अन्य विषय पर विचार करना।
(छ) आगामी वर्ष के लिए आय-व्ययक (Budget) स्वीकृत

कराना।

iii) अध्यक्ष, या अध्यक्षीय अनुमति से महामंत्री, वार्षिक आम सभा या विशेष आम सभा आयोजित कर सकता है। अध्यक्ष की अनुमति से या कार्यसमिति के निर्देश पर महामंत्री विशेष आम सभा आयोजित कर सकता है।

iv) वार्षिक आम सभा या किसी विशेष आम सभा के आयोजन हेतु सभी सदस्यों को प्रस्तावित तिथि से कम से कम 21 दिन पूर्व सूचना प्रेषित की जाएगी। संघ के रजिस्टर में उपलब्ध सदस्य के पते पर डाक प्रमाण पत्र के अधीन भेजी गई सूचना, अथवा संघ के मुख पत्र ''श्रमणोपासक'' में प्रकाशित सूचना, वैध मानी जाएगी।

v) वार्षिक आम सभा का कोरम 51 सदस्यों का होगा जो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होंगे तथा विशेष आम सभा के लिए 31 सदस्यों का कोरम होगा, जिसके लिए उसी प्रकार से उपस्थिति आवश्यक होगी। यदि कोई वार्षिक आम सभा या विशेष आम सभा कोरम के अभाव में स्थगित की जाए तो उसी दिन और स्थान पर तीस मिनट व्यतीत होने पर पुनः सभा आयोजित होगी। यदि ऐसी स्थगित सभा भी कोरम के अभाव में संपन्न नहीं हो पाती है, तो उसे निरस्त माना जाएगा। उपरोक्त कोरम का प्रावधान, संघ के विधान तथा नियमों/विनियमों में परिवर्तन/परिवर्धन/संशोधन में, संघ के विघटन से संबंधित प्रस्तावों को पारित करने के लिए, अथवा न्यास निधि से धन आहरित करने हेतु, लागू नहीं होगा।

vi) प्रति वर्ष संघ की आम सभा का अधिवेशन आसोज सुदी 2 को आयोजित करना अपेक्षित होगा।

vii) यदि सभा की सूचना किसी कारणवश किसी सदस्य को न पहुँची हो तो भी सभा की कार्यवाही नियमित समझी जाएगी।

viii) यदि संघ को विधान व नियमों/विनियमों में परिवर्तन, परिवर्धन और संशोधन करना हो तो एतद्दर्थ आम सभा अथवा विशेष आम सभा में यथोचित प्रस्ताव पारित करना आवश्यक होगा। इस हेतु सभा का कोरम 75 सदस्यों का होगा तथा उपस्थित सदस्यों द्वारा दो तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित होना अनिवार्य होगा।

ix) यदि संघ की न्यास निधि से राशि का प्रत्याहरण करना हो तो इस विषय में आम सभा/विशेष आम सभा के समक्ष प्रस्ताव रखना आवश्यक होगा। सभा का कोरम 75 सदस्यों का रहेगा। यदि सभा में उपस्थित सदस्यों द्वारा दो-तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित होता है, तभी स्थायी निधि से धन निकाला जा सकता है।

x) यदि संघ के विघटन का प्रस्ताव आम सभा/विशेष आम सभा में प्रस्तुत किया

जाता है, तो इसे पारित करने हेतु संघ के समस्त पंजीकृत आजीवन सदस्यगण (जिन्हें मताधिकार हो) के दो तिहाई से अन्यून सदस्यों द्वारा समर्थन/बहुमत आवश्यक होगा।

xi) विघटन के पश्चात् यदि संघ की सम्पत्ति के निपटान का विनिश्चय करना हो तो उपरोक्त प्रकार से, तथा उसी प्रकार से बहुमत से, (उप-पैरा ix), प्रस्ताव पारित होना आवश्यक होगा।

27. **मुहर :-** संघ की एक मुहर होगी जो यथावश्यक दस्तावेजों या कागजात पर लगाई जाएगी। यह मुहर महामंत्री की अभिरक्षा में केन्द्रीय कार्यालय में रखी जाएगी।

28. संघ के अन्तर्गत, सहयोगी एवं समुद्देशीय संस्थाएँ:-

श्री संघ के अन्तर्गत या सहयोग से अथवा संघ के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु जो संस्थाएं कार्यरत हैं, उनसे निर्धारित संघीय निर्देशों/नियमों का अनुपालन अपेक्षित है।

I) **अंतर्गत संस्थाएँ :** अंतर्गत संस्थाओं को निम्न निर्देशों का पालन करना होगाः-

(क) महिला समिति की सदस्या महिला ही बन सकेंगी।

(ख) समता युवा संघ के सदस्यता की पात्रता हेतु निम्न आयु सीमा 18 वर्ष की तथा ऊपरी आयु सीमा 45 वर्ष की होगी।

(ग) अन्तर्गत संस्थाओं के अध्यक्ष एवं पदाधिकारियों का चुनाव संबंधित संस्थाओं के विधि विधान के अनुरूप होगा। अध्यक्षीय चुनाव के अतिरिक्त नियामक परिषद् इन संस्थाओं के नियामक के रूप में उन्हीं अधिकारों एवं लक्ष्यों के साथ अधिकृत रहेगी, जैसे कि वह श्री संघ के विषय में अधिकृत है।

(घ) अन्तर्गत संस्थाओं का आय व्यय का लेखा जोखा श्री संघ के तुलन पत्र (Balance Sheet) में समाविष्ट होगा।

II) **सहयोगी संस्थाएँ :** सहयोगी संस्थाओं को निम्न निर्देशों/नियमों का पालन करना होगा -

(क) सहयोगी संस्था अपने कार्य समिति के गठन, पदाधिकारियों के चयन, कार्य प्रणाली, नियमों/उपनियमों के निर्धारण आदि के लिए स्वतंत्र रहेगी।

(ख) सहयोगी संस्था की कार्यकारिणी में श्री संघ के अध्यक्ष/महामंत्री/कोषाध्यक्ष पदेन सदस्य होंगे।

(ग) सहयोगी संस्था का लेखा-जोखा, तुलनपत्र (Balance Sheet)

पृथक होगा।

(घ) सहयोगी संस्थाओं की गतिविधियाँ, संघ के उद्देश्यों के प्रतिकूल, अथवा उसके अननुरूप, कदापि नहीं होगी।

(च) सहयोगी संस्था के कार्य संचालन में, या अन्य प्रकार से, यदि कोई गतिरोध उत्पन्न हो तो संस्था के अध्यक्ष इसकी जानकारी संघ अध्यक्ष को देंगे। संघ अध्यक्ष द्वारा इस संबंध में लिया गया निर्णय, तथा इस मसले/ मामले का निवारण, सर्व मान्य होगा।

(छ) सहयोगी संस्थाओं के विघटन पर उनकी मिल्कियत व उनकी चल-अचल सम्पत्ति का विलय केन्द्रीय संघ में होगा।

(ज) सहयोगी संस्थाओं में से जिन संस्थाओं के अलग पंजीकृत न्यास विलेख (Registered trust deed) या विधान होंगे वे अपने ट्रस्ट या विधान की धाराओं के अनुरूप कार्य कर सकेंगी।

III) **समुद्देश्यीय संस्थाएँ :** जिस संस्था/ट्रस्ट/सोसायटी इत्यादि के उद्देश्य श्री संघ के उद्देश्यों के समरूप हों, वह 'समुउद्देश्यीय संस्था' कहलाएगी। इस प्रकार की संस्थाओं द्वारा निम्न शर्तो का अनुपालन अपेक्षित है :

समुद्देश्यीय संस्था के विधान में, अथवा पंजीकृत विलेख में, निम्न प्रावधानों की समाविष्टि अनिवार्य रुप से होगी :

i) संस्था वर्तमान आचार्य श्री के प्रति, तथा जो उनके वैधानिक विधिसंगत उत्तराधिकारी आचार्य होंगे, उनके प्रति, श्रद्धा/निष्ठा रखने हेतु सदैव प्रतिबद्ध होगी, एवं आचार्य श्री की धारणाओं एवं मान्यताओं का सम्मान करते हुए उन्हें प्रचारित-प्रसारित करने हेतु भी तत्पर रहेगी।

ii) संस्था की गतिविधियाँ श्री संघ के उद्देश्यों के प्रतिकूल, अथवा उनके अननुरुप कदापि नहीं होंगी।

iii) श्री अ.भा.सा.जैन संघ का सदस्य उस संस्था के शासी निकाय में प्रतिनिधिक सदस्य रहेगा; उसे मताधिकार भी होगा।

iv) (क) यदि संस्था का विघटन होता है तो संस्था की मिल्कियत तथा उसकी चल अचल सम्पत्ति का विलय श्री संघ में होगा।

(ख) समुद्देश्यीय संस्था का लेखा जोखा/तुलनपत्र (Balance Sheet) पृथक होगा।

(ग) संस्था अपने विधान की रचना, कार्यसमिति के गठन, पदाधिकारियों के चयन, कार्य प्रणाली, नियम/विनियम के निर्धारण आदि के लिए स्वतंत्र रहेगी।

टिप्पणी : भविष्य में भी उपरोक्त नियम/विनियम के अनुरूप जो संस्था कार्य करेगी वह अंतर्गत, सहयोगी अथवा समुद्देश्यीय संस्था के स्वरूप में संघ से जुड.सकेगी। संस्था को इस परिभाषा की परिधि में लाने के लिए नियामक परिषद् से अनुमति लेकर, कार्यसमिति में प्रस्ताव पारित करवाना आवश्यक होगा।

29. <u>श्री संघ की शाखाओं हेतु नियम संहिता :-</u> श्री संघ की सभी शाखाएं निम्नलिखित नियमों का अनुपालन करेंगी -

(नोट : संघ शाखा/स्थानीय संघ परस्पर में वैकल्पिक रूप से प्रयुक्त होंगे)

श्री अ. भा. सा. जैन संघ द्वारा स्थानीय संघ हेतु सूत्रबद्ध नियमावली, दिशा निर्देश इत्यादि संघ की सभी शाखाओं को मान्य एवं स्वीकृत होंगे।

i) संघ शाखा का नाम होगा : श्री साधुमार्गी जैन संघ, ... (स्थान का नाम)

ii) संघ शाखा के अध्यक्ष पद का मनोनयन/निर्वाचन स्थानीय संघ शाखा के श्रावकों/श्राविकाओं द्वारा किया जाएगा।

iii) अन्य पदाधिकारियों में, अनिवार्य रूप से, कम से कम एक उपाध्यक्ष, एक मंत्री तथा एक कोषाध्यक्ष मनोनीत/निर्वाचित होगा। संघ शाखा के संचालन हेतु एक कार्यकारिणी गठित होगी ।

iv) संघ शाखा की सदस्यता हेतु श्री संघ का नियम/विनियम 2(i) लागू होगा। तथापि सदस्यता शुल्क के विषय में संघ शाखा अपना स्वतंत्र निर्णय ले सकेगी।

v) यदि किसी सदस्य का स्थायी डाक पता दो, अथवा दो से अधिक, क्षेत्रों में हो तो वह एक से अधिक संघ शाखा में सदस्य हो सकता है, तथापि राष्ट्रीय स्तर पर संघ को 'डाटा' प्रेषित/प्रस्तुत करने हेतु वह इन पतों में से केवल एक स्थायी पते का चयन करेगा।

vi) शाखा पदाधिकारी द्वारा अपने क्षेत्र की शाखा की गतिविधियों पर एक व्यापक रिपोर्ट प्रत्येक तीन माह में क्षेत्रीय उपाध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा एवं इस की एक प्रतिलिपि केन्द्रीय कार्यालय को प्रेषित की जाएगी।

vii) संघ शाखा के लिए श्री संघ के निर्णय व नीतियों का अनुपालन अनिवार्य होगा।

viii) स्थानीय संघ की कार्यकारिणी की कालावधि तथा पदाधिकारियों का कार्यकाल दो वर्ष का होगा।

ix) श्री संघ के नीति एवं नियमों के अनुसार कोई भी पदाधिकारी एक पद पर दो कालावधि से अधिक आसीन नहीं रहेगा।

x) यदि स्थानीय संघ की किसी मुद्दे पर श्री अ. भा. सा. जैन संघ अथवा संघ के पदाधिकारी से कोई असहमति हो तो दोनों पक्ष नियामक परिषद के समक्ष अपना पक्ष रखेंगे। नियामक परिषद् का निर्णय सर्वमान्य होगा।

xi) स्थानीय संघ के लिए श्री संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का परिपूर्ण पालन करना अनिवार्य होगा।

30. <u>साधारण नियम :-</u>

i) वर्तमान आचार्य श्री के आदेश/निर्देश की परिपालना, नियामक परिषद, संघ के पदाधिकारियों, एवं संघ के प्रत्येक सदस्य के लिए, अनिवार्य होगी, तथा वही आदेश/निर्देश संघ का सर्वोच्च-स्तरीय एवं अन्तिम निर्णय होगा।

ii) संघ के विधान द्वारा प्रारूपित उद्देश्यों का क्रियान्वयन करने के लिए कार्यसमिति, विभिन्न समितियां, उप-समितियां, परिषद, संयोजक मंडल आदि गठित/संचालित कर सकती है।

iii) संघ का स्थापना दिवस (Foundation day) :- प्रत्येक वर्ष आसोज सुदी बीज को श्री संघ के सभी केन्द्रों, कार्यालयों, शाखाओं, तथा अंतर्गत, सहयोगी एवं समुद्देश्यीय संस्थाओं में संघ स्थापना दिवस मनाया जाएगा।

iv) संघ का लोगो (logo) :- संघ द्वारा पंजीकृत लोगो (प्रतीक) संघ के, संघ शाखाओं के, तथा अंतर्गत एवं सहयोगी संस्थाओं के, साहित्य प्रकाशनों, लेखन सामग्री, विज्ञापनों, बैनरों (Banners) स्टेशनरी इत्यादि पर चिह्नित. होगा। इसके साथ ही बेवसाइट (website) एवं ई-मेल (E - Mail) पर भी होगा।

v) सुझाव एवं प्रस्तावित योजनाएं : संघ सदस्य यदि नई प्रवृत्ति अथवा दीर्घकालीन प्रकल्प के लिए सुझाव प्रस्तुत करना चाहे तो प्रस्तुतकर्ता उसकी प्रारूपित रूप रेखा संघ कार्यालय को उपलब्ध कराएगा। अध्यक्ष और महामंत्री का दायित्व होगा कि वे उस प्रारूप को नियामक परिषद् के समक्ष प्रस्तुत करें। नियामक परिषद् द्वारा यदि उस प्रारूप को स्वीकृति दी जाती है तो उसे कार्य समिति की बैठक में चर्चा हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। संघ की कार्य समिति की बैठक में निर्णय होने के बाद ही उस प्रवृत्ति को लागू किया जा सकता है। उसके अभाव में न उसकी घोषणा हो सकेगी, न ही क्रियान्वयन आरंभ होगा।

vi) मंत्री परिषद (Core Committee) : मंत्री परिषद के सदस्य वर्तमान पदाधिकारियों में से होंगे। इस परिषद् का दायित्व निम्न प्रकार से होगा :

(क) यह सुनिश्चित करना की केन्द्रीय कार्यालय संबंधी प्रचालन सुचारु एवं फलोत्पादक रूप से संपन्न हो।

(ख) अस्थायी या स्थायी कर्मचारी को, या किसी अन्य स्टाफ को, नियुक्त या पदमुक्त करना तथा उसका पारिश्रामिक तय करना; नियुक्ति के लिए संबद्ध समिति संयोजक से परामर्श लेना आवश्यक होगा।

(ग) कर्मचारी व उसके योगदान को मान्यता प्रदत्त करने हेतु, उसके संव्यावसायिक विकास व वृत्ति नियोजन हेतु, उसके प्रशिक्षण हेतु तथा शिकायत निवारण हेतु, तंत्र स्थापित करना एवं क्रियाविधि सुनिश्चित करना।

(घ) केन्द्रीय कार्यालय के संचालन हेतु अन्य निकायों से समन्वय करना।

(च) केन्द्रीय कार्यालय के बहु-आयामी विकास तथा उसके कार्यों की व्यापकता/विस्तृति के विषय में चिंतन/प्रयास करना।

(छ) यदि आवश्यक हो तो बाह्य विशेषज्ञ/परामर्शदाता की सेवाएं केन्द्रीय कार्यालय के हितार्थ उपलब्ध कराना; तथा उनके सुझावों के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक कार्रवाई करना।

vii) अन्य साधारण नियम :- श्री संघ के सेवार्थ यदि किसी पुरस्कार की निधि, या किसी स्थायी प्रवृत्ति के लिए राशि जमा की जाती है तो श्री संघ उस पुरस्कार एवं प्रवृत्ति को केवल 15 वर्ष तक उसी स्वरूप में रखने के लिए बाध्य रहेगा। तत्पश्चात् उपरोक्त राशि संघ के स्थायी कोष में समाहित कर दी जाएगी।

viii) न्यास निधि : -

(अ) संघ सदस्यता शुल्क, श्रमणोपासक शुल्क, तथा आजीवन साहित्य सदस्य शुल्क हेतु प्राप्त मूल राशि/जमा राशि को संघ के न्यास निधि के रूप में ग्रहित किया जाएगा।

(ब) यदि विशेष कारणों से उसमें से कुछ रकम का प्रत्याहरण करना हो तो एतदर्थ एक लिखित याचिका, जिस में वे कारण उल्लिखित होंगे, अध्यक्ष द्वारा नियामक परिषद के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

(स) यदि नियामक परिषद की सहमति हो तो इस विषय में यथोचित प्रस्ताव आम सभा में प्रस्तुत किया जाएगा। आम सभा का कोरम 75 सदस्यों का होगा। आम सभा में उपस्थित सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित होने पर स्थायी निधि से धन निकाला जा सकता है।

(ड) तथापि उपरोक्त प्रावधान मूल राशि पर प्राप्य ब्याज के प्रत्याहरण हेतु लागू नहीं होगा।

31. <u>विधान एवं नियमों/विनियमों में संशोधन :-</u>

i) "श्रावक", "श्राविका" और सदस्य शब्दों की व्याख्या, जैसा कि उपरोक्त परिभाषा खंड में अथवा अन्यत्र दी गई है, सदैव अपरिवर्तित रहेगी।

ii) संघ के विधान तथा नियम/विनियम में संशोधन हेतु नियामक परिषद से

सहमति प्राप्त करना आवश्यक होगा। तत्पश्चात आम सभा/विशेष आम सभा में उपयुक्त प्रस्ताव पारित कर, व कानून के प्रावधानों के अनुरूप, संशोधन/परिवर्तन किया जा सकता है। सभा के आयोजन की सूचना प्रस्तावित तिथि से कम से कम तीस दिन पहले देना आवश्यक होगा। इस सूचना में प्रस्तावित संशोधन/परिवर्धन/परिवर्तन को उल्लिखित करना अनिवार्य होगा।

iii) उपरोक्त सभा का कोरम व्यक्तिगत रूप से उपस्थित 75 सदस्यों का होगा। संघ के अंतर्नियम केवल तभी संशोधित या परिवर्तित हो सकते हैं जब उपस्थित सदस्यों में से दो तिहाई सदस्य तत्संबद्ध प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करें।

iv) विधान तथा नियमों/विनियमों में संशोधन/परिवर्धन/परिवर्तन रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज के पास उसे दाखिल करने की तिथि से प्रभावी होगा।

32. <u>राजस्थान सोसायटीज पंजीकरण अधिनियम की व्यवहार्यता :-</u>

राजस्थान सोसाइटीज पंजीकरण अधिनियम, 1958 के सभी प्रावधान संघ पर लागू होंगे।

33. <u>कार्यवृत्त, दस्तावेज इत्यादि :-</u>

i) संघ-संबंधी प्रत्येक बैठक , वार्षिक आम सभा, विशेष आम सभा, कार्यसमिति, नियामक परिषद, स्थायी सम्पत्ति संवर्द्धन परिषद्, प्रवृति व किसी अन्य समिति के बैठक की कार्यवाही का यथोचित कार्यवृत्त लिपिबद्ध किया जाएगा व केन्द्रीय कार्यालय में रखा जाएगा। संघ के सदस्यों की जानकारी के लिए यह कार्यवृत्त उपलब्ध रहेगा।

ii) संघ के सभी दस्तावेज, प्रलेख, स्टेम्प, लेखन सामग्री, कागजात इत्यादि केन्द्रीय कार्यालय में यथोचित अभिरक्षा में रखे जाएंगे।

34. <u>वाद - विवाद :-</u>

i) संघ के द्वारा या उसके पक्ष में या उसके विरुद्ध दायर सभी विधिक कार्रवाई या वाद पर निगरानी रखने का दायित्व-निर्वहन कार्यसमिति द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी अथवा अन्य सदस्य करेगा।

ii) संघ के सदस्य/सदस्यता से संबधित कोई समस्या अथवा मतभेद, या संघ - संबद्ध अन्य विवादित मसला/मामला, समाधान/निराकरण हेतु सर्वप्रथम संघ अध्यक्ष द्वारा लिपिबद्ध स्वरूप में कार्यसमिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इस विषय में यदि कार्यसमिति किसी निष्कर्ष/निर्णय पर नहीं पहुंचती है तो उस विवादित मामले को नियामक परिषद् के समक्ष रखा जाएगा। परिषद् का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा।

परिशिष्ट-1

श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन संघ

प्रधान कार्यालय - बीकानेर

कार्य समिति के सदस्य

(संघ के विधान व नियम/विनियम, अनुच्छेद 10 के सन्दर्भ में)

	पद	संख्या	मताधिकार
(1)	अध्यक्ष	1	✓
(2)	उपाध्यक्ष	12	✓
(3	महामंत्री	1	✓
(4)	मंत्री	12	✓
(5)	कोषाध्यक्ष	1	✓
(6)	सहकोषाध्यक्ष	1	✓
(7)	तत्काल पूर्ववर्ती अध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष	3	✓
(8)	प्रवृत्ति संयोजक		
	(i) वीर सेवा समिति -	1	✓
	(ii) समता प्रचार संघ -	1	✓
	(iii) स्वाध्यायी गुणवत्ता विकास कार्यक्रम -	1	✓
	(iv) समता संस्कार पाठशाला -	1	✓
	(v) धार्मिक परीक्षा बोर्ड, बीकानेर -	1	✓
	(vi) साहित्य प्रकाशन -	1	✓
	(vii) प्रभावक महाप्रभावक सदस्यता अभियान समिति -	1	✓
	(viii धर्मपाल प्रवृत्ति -सीरीवाल प्रवृत्ति -	1	✓
	(ix) धर्मपाल जैन छात्रावास -	1	✓
	(x) श्री जैन संस्कार पाठ्यक्रम -	1	✓
	(xi) स्थायी सम्पत्ति संवर्द्धन समिति -	1	✓
	(xii) समता जनकल्याण प्रन्यास -	1	✓
	(xiii) दानपेटी योजना -	1	✓
	(xiv) समता भवन निर्माणा समिति -	1	✓
	(xv) कानूनी सलाहकार समिति -	1	✓
	(xvi) जीवदया प्रकोष्ठ -	1	✓
	(xvii) विहार सेवा समिति -	1	✓
	(xviii) नानेश निकेतन -	1	✓
	(xix) श्री गणेश जैन ज्ञान भंडार -	1	✓
	(xx) श्री गणेश जैन छात्रावास -	1	✓
	(xxi) समता संस्कार शिविर -	1	✓
	(xxii) साधुमार्गी प्रतिभा खोज कार्यक्रम -	1	✓

	(xxiii) विद्वत निर्माण प्रकल्प -	1	✓
	(xxiv) आगम एवं तत्त्व प्रकाशन समिति -	1	✓
	(xxv) केन्द्रीय प्रवास प्रचार समिति -	1	✓
	(xxvi) समता बुक बैंक -	1	✓
(9)	अन्य कार्यकारिणी सदस्य	51 से 151	✓
(10)	अन्तर्गत संस्थाएँ :		
	1. श्री अ.भा.सा.जैन समता युवा संघ -	2	✓
	2. श्री अ.भा.जैन महिला समिति -	2	✓
(11)	सहयोगी संस्थाएँ :		
1.	समता महिला गृह उद्योग भण्डार, रतलाम (म.प्र.)	2	✓
2.	श्री आगम, अहिंसा-समता एवं प्राकृत संस्थान उदयपुर -	2	✓
3.	श्री आदिनाथ पशु रक्षा संस्थान (गौशाला)	2	

श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन संघ

प्रधान कार्यालय - बीकानेर

संघ संचालन हेतु भौगोलिक विभाजन

(संघ के विधान व नियम/विनियम, अनुच्छेद - 25 के सन्दर्भ में)

क्र.	अंचल	संभाग	क्षेत्र
1.	मेवाड़ अंचल	मेवाड़ संभाग–1	चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा
		मेवाड संभाग–2	उदयपुर, राजसमंद, डुंगरपुर, बांसवाडा, प्रतापगढ़
2.	बीकानेर मारवाड़ अंचल	मारवाड संभाग–1	थली, बीकानेर, चुरु, नागौर
		मारवाड संभाग–2	जोधपुर, पाली, बाडमेर
		मंगलदेश संभाग	श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, भटिण्डा, सिरसा, हिस्सार, सुरतगढ़
3.	जयपुर ब्यावर अंचल	जयपुर–ब्यावर–1	अजमेर, जयपुर, अलवर
		जयपुर–ब्यावर–2	कोटा, टोंक, करौली, भरतपुर, सवाईमाधोपुर (ढूंढार, हाडौती क्षेत्र) बूंदी, झालावाड
4.	मालवा अंचल	मालवा संभाग	रतलाम, मन्दसौर, नीमच, बदनावर पूर्वी निमाड, पश्चिम निमाड, भोपाल, बैतूल, होशंगाबाद
		निमाड संभाग	इन्दौर, उज्जैन, देवास, धार
		इन्दौर संभाग	बालाघाट, जबलपुर, सिवनी
5.	छत्तीसगढ़ ओडिसा अंचल	बस्तर संभाग	जगदलपुर, सोनारपाल, सुकमा कोडागांव, कांकेर, गीदम, मलकानगिरी
		दुर्ग–राजनांदगांव संभाग	दुर्ग, राजनांदगांव, भिलाई कवर्धा, खैरागढ़, धमदा, बालोद दलीराजहरा
		रायपुर संभाग	रायपुर, बिलासपुर, अम्बिकापुर नयापारा, राजिम, धमतरी
		ओडिसा संभाग	खरीयार रोड, केसिंगा, मल्कानगिरि, बालांगीर

6.	कर्नाटक आन्ध्रप्रदेश अंचल	कर्नाटक संभाग–1	बैंगलोर, मैसूर, मण्डिया,
			चिकमंगलूर, हसन
		कर्नाटक संभाग–2	हुबली, बेलगाम, शिमोगा
		कर्नाटक संभाग–3	बीजापुर, गुलबर्ग, हॉस्पेट,बेल्लारी,रायचूर
		आन्ध्रप्रदेश संभाग	हैदराबाद, सिकन्दराबाद, आदिलाबाद, तिरुपति, विजयवाडा विशाखापट्टनम्
7.	तमिलनाडू अंचल	तमिलनाड संभाग–1	चैन्नई, मदुरांतकम सेलम, इरोड कोयम्बतूर, ऊटी
		तमिननाडसंभाग–2	विल्लिपुरम, पांडेचरी
		तमिलनाड संभाग–3	चिदम्बरम, तिरूचिरापल्ली
8.	मुम्बई एवं गुजरात अंचल	मुंबई संभाग	मुम्बई ठाणा रायगढ
		अहमदाबाद संभाग	मेहसाना, हिम्मतनगर, बडौदा, अहमदाबाद, राजकोट, गांधीनगर
		सूरत संभाग	सूरत, वापी, बारडोली, बलसाड नवसारी, भरुच, नर्मदा
9.	महाराष्ट्र–विदर्भ–खानदेश अंचल	खानदेश संभाग	धुलिया, जलगांव, नंदूरबार
		विदर्भ संभाग	अमरावती, नागपुर, चन्द्रपुर वर्धा, यवतमाल, भंडारा, बुलढ़ाना, आकोला, वासिम
		मराठवाडा संभाग	औरंगाबाद, नांदेड, परभणी बीड, अहमदनगर, शोलापुर
10.	बंगाल, बिहार, नेपाल एवं भूटान अंचल	बंगाल संभाग–1	कोलकात्ता, हावड़ा, हुबली, मेदिनापुर, बांकुर,
		बंगाल संभाग–2	वीरभूम, वर्धमान, मुर्सिदाबाद, सुपोल मालदा
		बंगाल संभाग–3	जलपाइगुडी, उत्तर–दक्षिण दिन्नाजपुर, कूचबिहार, अलीपुरद्वार दार्जलिंग
		बिहार–	फारबिसगंज, पूर्णिया, किशनगंज कटिहार, सहरसा

		उत्तरी ओडिशा	कटक, भुवनेश्वर, जाजपुर, बालेश्वर
		नेपाल	विराटनगर, काठमांडू वीरगंज, जनकपुर
		भूटान संभाग	फुटशॉलिंग, थीम्पू, पारो, गेलम्फू
11.	पूर्वोत्तर अंचल	आसाम संभाग–1	करीमगंज, सिलचर, लाला, हैलाकाण्डी, लखीपुर
		आसाम संभाग–2	गुवाहाटी, बरपेटा रोड, हवली, बिजी, कोकराझाड, बसुगांव सरभोग, होजाई, लंका, नौगांव
		आसाम संभाग–3	तेजपुर, ढेकियाजूली, खारुपेटिया, टंगला, गोरेश्वर, उदालगुडी, जखलाबंधा, कुनवारीटोल, विश्वनाथ चरली
		आसाम संभाग–4	डिबरुगढ़, तिनसुकिया, जोरहाट, शिवसागर, सिलापथार, सोनारी
		आसाम संभाग–5	धुबड़ी, बिलासीपाड़ा, बंगाईगांव, गोलकगंज, सपतग्राम, छपडा, गौरीगंज
		त्रिपुरा संभाग	धरमनगर, कैलासर
		मेघालय संभाग	शिलोंग तूरा
		नागालैण्ड संभाग	
		अरुणाचल संभाग	
		मणिपुर संभाग	
		मिजोरम संभाग	
12.	दिल्ली, पंजाब, हरियाणा एवं उत्तरी अंचल	दिल्ली संभाग	दिल्ली
		पंजाब–हरियाणा संभाग	चंडीगढ़, लुधियाना, पंचकुला
		उत्तरी संभाग	जम्मू, काश्मीर

टिप्पणी : (1) निवासरत साधुमार्गी परिवार की संख्या के आधार पर उपरोक्त भौगोलिक विभाजन किया गया है। भविष्य में भी साधुमार्गी परिवारों की संख्या में वृद्धि होने पर संभाग एवं क्षेत्र की सीमाओं को सरेखित किया जा सकता है, अथवा अंचलों में नवीन क्षेत्रों/संभागों की समाविष्टि की जा सकती है।

(2) संभाग प्रमुख/क्षेत्रीय प्रभारी की नियुक्ति तत्संबद्ध संभाग/क्षेत्र में निवासरत साधुमार्गी परिवारों की संख्या के आधार पर की जाएगी।

अनुबंध

विधान में छ: (6) अल्प संशोधन

1. अनुच्छेद 3 (स)(ii) का संशोधित स्वरूप :
महाप्रभावक सदस्य–
संघ को एकमुश्त रुपये 11 लाख अथवा पाँच वर्षों में प्रतिवर्ष रुपये 2 लाख 20 हजार देने वाले महानुभाव महाप्रभावक सदस्य कहलाएंगे।

2. अनुच्छेद 4 (iv) का संशोधित स्वरूप :
महाप्रभावक सदस्य– एकमुश्त रुपये 11 लाख अथवा पाँच वर्षों में प्रतिवर्ष रुपये 2 लाख 20 हजार।
(संदर्भ – दि. 31 जनवरी 2014 को मैसूर में आयोजित कार्यसमिति बैठक में पारित)

3. अनुच्छेद 3 (स) **(iii)** का संशोधित स्वरूप :
साधुमार्गी शिखर सदस्य – रुपये एक करोड़ की राशि प्रदान करने वाले अथवा रु. पांच लाख सदस्यता शुल्क व शेष रु. पचानवे लाख के अनुदान का प्रबंध करने वाले महानुभाव शिखर सदस्य कहलाएंगे।

4. अनुच्छेद 4 **(v)** का संशोधित स्वरूप :
साधुमार्गी शिखर सदस्य : एकमुश्त मात्र रुपये पांच लाख (रु. 5 लाख) शुल्क व शेष रुपये पचानवे लाख (रु. 95 लाख) के अनुदान का प्रबंध करने पर।
(संदर्भ : 17 मार्च 2014 को वैल्लूर में आयोजित कार्यसमिति बैठक में पारित)

5. अनुच्छेद 25 (भौगोलिक क्षेत्र विभाजन) का संशोधित स्वरूप :
समस्त संघ कार्यक्षेत्र 12 (बारह) अंचलों में विभाजित किया जाएगा।
(संदर्भ : दि. 31 जनवरी 2014 को मैसूर में आयोजित कार्यसमिति बैठक में पारित)

6. अनुच्छेद 25 (दो अंचलों के पुनर्गठन) का संशोाधित स्वरूप
1. वर्तमान में जो बंगाल, बिहार एवं नेपाल अंचल है उसमें भूटान क्षेत्र समाविष्ट किया जाए, अंचल का संशोधित नाम होगा।
बंगाल–बिहार–नेपाल एवं भूटान अंचल
2. वर्तमान में जो आसाम, त्रिपुरा एवं भूटान अंचल है उसमें से भूटान विलग किया जाए तथा निम्न क्षेत्र समाविष्ट किए जाएर।
अरूणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम व मणिपुर
इस पुनर्गठित अंचल का नया नाम होगा पूर्वोत्तर अंचल

(संदर्भ : दि 13 जुलाई 2014 को बैंगलोर में आयोजित कार्यसमिति बैठक में पारित)

7. अनुच्छेद 25 :

निम्न अंचलों के भौगोलिक क्षेत्रों का पुनर्सरेखण

(क) छत्तीसगढ - ओडिशा अंचल

(ख) बंगाल बिहार नेपाल एवं भूटान अंचल

उपरोक्त अंचल 'क' के वर्तमान ओडिशा संभाग को विभाजित करते हुए उसमें से कटक एवं भुवनेश्वर क्षेत्रों को विलग कर उन्हें अंचल 'ख' में समाविष्ट किया जायेगा।

(संदर्भ - दि. 25 सितम्बर, 2014 को बैंगलोर में आयोजित कार्यसमिति बैठक में पारित)

8. अनुच्छेद 3 (स) (iii) में संशोघन/परिवर्धन :

3 (स) (iii) (क) शिखर सदस्यता की पात्रता हेतु आवेदक का व्यसनमुक्त होना अनिवार्य होगा (परिभाषा 1 (x) के अनुसार)

टिप्पणी: 1. पूर्व में संघ के भौगोलिक कार्यक्षेत्र का दस अंचलों में विभाजन प्रावधानित था। उपरोक्त संशोधन के फलस्वरूप दो अंचलों का निम्न प्रकार से द्विभाजन हुआ है :

(अ) ''महाराष्ट्र एवं गुजरात अंचल'' को द्विभाजित कर ''मुम्बई एवं गुजरात अंचल'' तथा ''महाराष्ट्र विदर्भ खानदेश अंचल'' बनाए गए।

(ब) ''दक्षिण भारत अंचल'' के निम्न दो भाग किए गए :

i) कर्नाटक आन्ध्रप्रदेश अंचल

ii) तमिलनाडू अंचल

2. परिशिष्ट 2 में समस्त बारह अंचल तथा संबंधित संभागों/क्षेत्रों का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

3. उपरोक्त संशोधनों से रजिस्ट्रार (संस्थाएँ) बीकानेर को समय-समय पर अवगत कराया गया, पत्राचार का विवरण निम्न प्रकार से है :-

(i) क्रमांक 14931 दिनांक 30 जून, 2014 संदर्भ : 31 जनवरी 2014 को मैसूर में आयोजित कार्यसमिति बैठक तथा 17 मार्च 2014 को वैल्लूर (तमिलनाडु) में आयोजित कार्यसमिति बैठक।

(ii) क्रमांक - 15362 दिनांक 21 जुलाई, 2014 संदर्भ : दिनांक 13 जुलाई, 2014 को बैंगलोर में आयोजित मिटिंग के अनुसार।

(iii) ABS/V/44/01/2014-15 दिनांक 21 अगस्त, 2014, दिनांक 25 सितम्बर, 2014 को आयोजित मिटिंग के अनुसार।

(iv) ABS/V/44/02/2014-15 दिनांक 28 नवम्बर, 2014 संदर्भ : 26 सितंबर 2014 को बैंगलोर में आयोजित वार्षिक आमसभा।

(v) ABS/V/44/3432/2014-15 दिनांक 23 अगस्त 2015; दि. संदर्भ : 02 अगस्त 2015 को आयोजित विशेष आमसभा में पारित प्रस्ताव के अनुसार।